Uttar Pradesh State Disaster Management Authority
Picup Bhawan, Picup Bldg. Rd., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh -226010
E-mail : upsdma@gmail.com
Website : https://upsdma.up.nic.in

उत्तर प्रदेश
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भीड़ प्रबंधन दिशा-निर्देश 2024

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भीड़ प्रबंधन दिशा-निर्देश 2024

उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य की अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को ध्यान में रखते हुए, जिलों के लिए भीड़ प्रबंधन योजना को कार्यान्वित करने के लिए दिशा–निर्देश विकसित करना बहुत अहम है। इसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब संबंधित जिले, स्थानीय अधिकारी और कार्यक्रम आयोजक भीड़ प्रबंधन विषय पर एक निष्पादन योग्य कार्य योजना विकसित कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक संस्थान, जिनके लिए भीड़ प्रबंधन योजना की आवश्यकता है, जैसे कि सिनेमा हॉल, परिवहन केंद्र, स्टेडियम आदि, अथवा धार्मिक/राजनीतिक समारोह के पास एक भीड़ प्रबंधन योजना मौजूद हो।

इन दिशा–निर्देशों को राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। राज्य के अंदर और देश में हुई विभिन्न पूर्व घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है और उन पर शोध कर तथा अनुभव प्राप्त कर इस दस्तावेज में शामिल किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग का शक्ति गुणक के रूप में बहुत महत्व है। जिलाधिकारी रिमोट सेंसिंग का भी विशेष ध्यान रख सकते हैं, जो निर्णय लेने में बहुत सहायक हो सकता है। आईआरएस कार्यप्रणाली, जो विभिन्न हितधारकों की परिनिश्चित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ बहुत प्रभावी हो सकती है, को विभिन्न भीड़ नियंत्रण उपायों पर बहुत नवोन्मेषी पूर्वक आरोहित किया गया है। तथापि, स्थानीय गतिकी के आधार पर समग्र भीड़ नियंत्रण उपायों में से इसे सावधानीपूर्वक शामिल करने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि यह “सामूहिक समाराहों में भीड़ प्रबंधन दिशा–निर्देश” सभी संबंधित लोगों के लिए अपने–अपने भीड़ प्रबंधन योजना तैयार करने में बहुमूल्य संसाधन आदान के रूप में कार्य करेंगे।

जय हिन्द

24 अक्टूबर 2024

(लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी)
पी0वी0एस0एम0, ए0वी0एस0एम0,
वी0एस0एम0 (सेवानिवृत्त)

विषय सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**प्रस्तावना**	5
2	**विभिन्न सामूहिक सभाओं के प्रकार और अभिलक्षण**	6
3	**भीड़ प्रबंधन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य**	6
4	**उद्देश्य**	8
5	**भीड़ प्रबंधन के सिद्धांत**	8
6	**भीड़ प्रबंधन योजना के प्रति दृष्टिकोण** • भीड़ प्रबंधन रणनीति • भीड़ प्रबंधन की चुनौतियां	9
7	**उत्प्रेरक बिन्दुओं की पहचान** • होर्डिंग/संरचनाओं का गिरना • जोखिम (खतरा) मूल्यांकन और सुरक्षा • संस्थागत तंत्र में कमियां • अग्नि दुर्घटनाएं • भीड़ नियंत्रण के अपर्याप्त उपाय • भीड़ संव्यवहार • अफवाह	12
8	**उत्प्रेरक बिन्दु और इसके लिंकेज का सारांश**	15
9	**जनपद स्तर पर योजना की तैयारी**	16
10	**योजना का निष्पादन** • भीड़ प्रबंधन दृष्टिकोण • अंतर्वाह नियंत्रण। • भीड़ नियंत्रण के महत्वपूर्ण पहलू • स्टेजिंग क्षेत्र • होल्डिंग क्षेत्र और रिलीज प्वाइंट • चिकित्सा सहायता चौकी • वैकल्पिक आंतरिक मार्ग/परिपथ • हेलीपैड का प्रावधान	17
11	**सूचना प्रबंधन और प्रसार** • आगंतुकों के लिए • कार्यक्रम आयोजकों के लिए • सुरक्षा कर्मी • स्थानीय निवासी • संकेतक (साइनेज)	18

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
12	**बचाव एवं सुरक्षा दिशा–निर्देश** • संरचनात्मक सुरक्षा • सुरक्षा एजेंसीज • अवरोधक (बैरियर) का नियोजन	19
13	**प्रमुख हितधारक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां**	22
14	**घटना अनुक्रिया प्रणाली (IRS) का कार्यान्वयन**	22
15	**आपातकालीन प्रचालन केंद्र (ईओसी)** • ईओसी के संचालन हेतु दिशा–निर्देश	23
16	**ईओसी के मूल तत्व** • एकीकृत संचार प्रणाली • जीआईएस आधारित अनुप्रयोग • सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली • उद्घोषक • प्रदर्शन (डिस्प्ले) प्रणाली • रिपीटर युक्त बेस स्टेशन (वायरलेस) • आपात चिकित्सा अनुभाग	24
17	**आईआरएस : कमांड स्टाफ** • सूचना एवं मीडिया अधिकारी (IMO) • सुरक्षा अधिकारी (SO) • संपर्क अधिकारी(LO) • प्रशासनिक अधिकारी (AO)	25
18	**घटना अनुक्रिया टीम (IRT)** • योजना अनुभाग • प्रचालन अनुभाग • संभरण (लॉजिस्टिक) अनुभाग • स्टेजिंग क्षेत्र (एसए) प्रबंधक • टास्क फोर्स या स्ट्राइक टीम • घटना कमान चौकी (ICP) • आईसीपी प्रभारी के उत्तरदायित्व	26
19	**आईआरएस का सक्रियण**	30
20	**यातायात प्रबंधन** • आपातकालीन परिवहन योजना • पीपा पुल • आकस्मिक योजना	30

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
21	**भीड़ प्रबंधन में मीडिया** • आचार संहिता • सत्य और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग • मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार • मीडिया एक मजबूत भागीदार के रूप में • अधूरी/संदिग्ध सूचना पर रिपोर्टिंग से बचें	**33**
22	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका** • लोगों की गिनती करने की प्रणाली • ऑनलाइन पंजीकरण • पहचान टैग का नियोजन • भौगोलिक सूचना प्रणाली • क्लोज्ड–सर्किट टेलीविजन कैमरा • वायवीय दूर संवेदी प्रणाली	**33**
23	**क्षमता निर्माण** • संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक गतिविधियाँ • मॉक ड्रिल • भीड़ का स्व–प्रबंधन तंत्र का विकास • भीड़ नियंत्रण	**35**
24	**भीड़ प्रबंधन का विधिक पहलू**	**36**
25	**निष्कर्ष**	**36**
26	**संलग्नक 1 - 8**	**37–54**

सामूहिक समारोहों में भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देश

''तैयारी ना कर, आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं'' **– बेंजामिन फ्रैंकलिन**

अमेरिका के संस्थापकों में से एक द्वारा कही गई उपर्युक्त पुरानी कहावत भारत में भीड़ प्रबंधन के संदर्भ में सटीक बैठता है। हम, राज्य में, बड़ी– बड़ी भीड़ को देखते ही रहते हैं और अक्सर बड़ी भीड़ को प्रबंधित करने की चुनौती आती रहती हैं, चाहे वह राजनीतिक रैलियां हों, रेलवे/बस स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि हों। इसलिए, सभी स्तरों पर सरकारी मशीनरी पर भीड़ प्रबंधन के लिए एक निष्पादन योग्य कार्य योजना विकसित करने का उत्तरदायित्व है।

भीड़ प्रबंधन दिशा–निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रयास है। राज्य में लगातार बड़ी–बड़ी भीड़–भाड़ होती रहती है, इसलिए ये दिशा–निर्देश जिलों और उनके नीचे भीड़ प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एक प्रभावी साधन होंगे, जिससे अव्यवस्था की किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए क्षमता का निर्माण होगा।

"समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी–संचालित रणनीति और रोकथाम, शमन, तैयारी और अनुक्रिया की संस्कृति के इर्द–गिर्द घूमने वाली एक नीति विकसित कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के ढांचे के भीतर एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी राज्य का निर्माण करना,"

प्रस्तावना

भीड़ प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिससे नियोजित रूप में लोगों की व्यवस्थित आवाजाही और जनसमूह की निगरानी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह भीड़ धार्मिक, राजनीतिक, खेल आयोजन, सामाजिक समारोह अथवा रेलवे या बस स्टेशनों पर यात्रियों के रूप में हो सकती है। भारत और उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की बड़ी जन सभाएँ होती हैं, जिनमें लाखों भक्त आते हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक विस्तृत योजना और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है।

भारत में भगदड़ की घटनाओं के आकड़े बताते है की 79% घटनाएं धार्मिक समारोह के आयोजनों में होती हैं अतः इन स्थानों पर भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यद्यपि, यह दिशा–निर्देश सम्यक संशोधनों के साथ सभी प्रकार के समारोहों पर लागू किए जा सकते हैं, परन्तु यह दिशा–निर्देश मुख्यतः धार्मिक समारोहों पर केंद्रित हैं।

"भीड़ से गिरोह" व्यक्ति अकेले की तुलना भीड़ में भिन्न तरह से व्यवहार करते हैं। जब भीड़ अव्यवस्थित व भावनात्मक रूप से उग्र हो जाती है और हिंसा करने या हिंसा की ओर अग्रसारित हो तो उसे गिरोह कहा जाता है। "भीड़ से गिरोह" की इस अवधारणा को सभी स्तरों पर भीड़ प्रबंधन योजनाकारों द्वारा समझने की आवश्यकता है और इसके सभी उत्प्रेरक तत्वों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण कर तदनुसार योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए।

भीड़ को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए उसकी गतिकी को समझना महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एआईडीएमआई) के अध्ययनों में पाया गया है कि भीड़ को स्व–उन्मुख करके व्यवस्थित व्यवहार हेतु प्रेरित करके प्रबंधित किया जा सकता है, जिस पर आयोजन के योजनाकारों को गहन विचार करने की आवश्यकता है। ''भीड़ **एक संपत्ति है**'' जिसे नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु सभी को मुख्यधारा में लाया जाना आवश्यक है।

हमारे सामने अच्छे और बुरे दोनों ही दृष्टांत हैं, जिनसे सबक सीखा जा सकता है और उन सबको क्रियान्वित कर दुर्घटना से बचा जा सकता है। वर्ष 2019 में प्रयागराज अर्ध कुंभ मेला, जो कि लगभग दो महीने तक चला और जिसमें रिकॉर्ड 25 करोड़ लोग आए, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सफल भीड़ प्रबंधन आयोजनों का एक उपयुक्त दृष्टांत है। हालाँकि, वर्ष 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ का भी एक दृष्टांत है जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी, संभवतः भीड प्रबंधन की योजना बनाते समय इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया था।

विभिन्न सामूहिक सभाओं के प्रकार और अभिलक्षण

राजनीतिक सम्मेलन रैलियाँ जिनका राजनीतिक उद्देश्य, शक्ति प्रदर्शन या वोट बैंक को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित होता हैं। यह भीड़ अत्यधिक अभिव्यंजक, आवेगपूर्ण और स्वभाव से उत्साहित होती है और अलग –अलग सदस्य अपनी राजनीतिक संबद्धता के कारण भीड़ से जुड़े होते हैं। इस भीड़ में आये लोग स्वभाव से सामयिक और अपनी राजनीतिक भावनाओं से दृढ़ता से बंधे होने के कारण अपनी संबद्धता को खुले तौर पर प्रदर्शित करते हैं।

धार्मिक समारोह धार्मिक समारोह में धार्मिक भावनाएँ बहुत प्रबल रहती हैं। यद्यपि लोग भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं और मंत्रोच्चार, धार्मिक नारे आदि लगाते हैं, लेकिन आक्रामक नहीं होते। जब तक कि कोई संगठनात्मक विफलता न हों, धार्मिक भीड आम तौर पर समान धार्मिक श्रद्धा रखने के कारण संगठित होती हैं।

खेल आयोजन ऐसे आयोजनों में आम तौर पर लोगो में प्रायः अपनी–अपनी टीमों के साथ गहरा भावनात्मक लगाव होता है। अपनी–अपनी टीमों का समर्थन करने वाली भीड़ के अलग–अलग गुट हो सकते हैं और इसलिए परस्पर विरोधी गुटों के बीच संघर्ष की संभावना रहती है।

परिवहन केन्द्रों पर भीड़

रेलवे स्टेशन पर भीड़–भाड़ मूलतः यात्रियों की होती है जिनका भीड़ से संबंध नहीं होता है, परंतु यदि भीड़ संचलन में विघ्न उत्पन्न होने की स्थिति में इनमे संगठित और अभिव्यंजक होने की संभावना होती हैं।

बस स्टॉप इनमे भीड़ का व्यवहार ऊपर वर्णित रेलवे स्टेशन की भीड़ के समान होता है।

सिनेमा हॉल यहाँ भीड़ मनोरंजन के उद्देश्य से एकत्रित होती हैं। भीड़ संचलन में व्यवधान के कारण अनियंत्रित होने की संभावना होती हैं।

भीड़ प्रबंधन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भीड़ प्रबंधन हेतु पूर्व के सकारात्मक अनुभवों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यथासंभव हो तो उसे प्रयोग में लाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में प्रासंगिक ऐतिहासिक घटनाएँ **संलग्नक 1** में संलग्न हैं।

प्रमुख सहायक कारकों का सारांश

उपर्युक्त ऐतिहासिक घटनाओं/दुर्घटनाओं के विश्लेषण उपरांत निम्नलिखित प्रमुख कारण है :–

(क) प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन योजना का अभाव होना।

(ख) विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारी संबंधी स्पष्टता का अभाव।

(ग) अन्य स्थानों से आने वाले लोगों हेतु अभिसारी मार्गों पर विचार न करना।

(घ) भीड़ व्यवहार की गतिकी और समझ का अभाव।

(ड़) असुरक्षित और निम्न मानकों के अनुसार बना संरचनात्मक बुनियादी ढांचा जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना।

(च) भीड़ में उपद्रवी तत्वों की उपस्थिति के बारे में सूचना का अभाव।

(छ) संकीर्ण मार्गों पर विशेषकर स्थान प्रबंधन।

(ज) भीड़ प्रबंधन योजना बनाते समय प्रतिकूल मौसम स्थिति को ध्यान में नहीं रखना।

(झ) भीड़ द्वारा या ऐसे तत्व जो योजनाबद्ध तरीके से अफवाह फैलाते हैं, उन्हें अफवाह फैलाने से रोकने के लिए अपर्याप्त तंत्र।

(ञ) मंदिरों के विशेषकर प्रतिबंधित प्रवेश द्वारों एवं तीर्थयात्रा के केन्द्र बिन्दुओं पर ढलानों वाली एवं फिसलन वाली जमीन।

(ट) अतीत के आयोजनों से कोई सबक नहीं सीखा गया और न ही सुधारात्मक उपाय किए गए।

(ठ) स्टालों की संस्थापना हेतु अनियोजित एवं अपर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध जिससे अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

(ड) भीड़ क्षमता का गलत आंकलन।

(ढ) जनरेटरों के रखरखाव एवं मरम्मत का अभाव।

(ण) व्यावसायिक लाभ हेतु भवन में अनधिकृत परिवर्तन, जिससे आपातकालीन निकास अवरुद्ध हो जाता है।

(त) लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा नगरपालिका उप–नियमों के उल्लंघन की अनदेखी किया जाना।

(थ) वाणिज्यिक गतिविधियों, विशेषकर खाद्य दुकानों को परमिट जारी करना, जिनसे आग लगने का खतरा रहता है।

उद्देश्य

इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य जिला प्रशासन/स्थानीय एजेंसियों/विभिन्न सामूहिक आयोजनों के आयोजन प्रबंधकों को भीड़ प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने तथा प्रभावी और कुशल भीड़ प्रबंधन करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करना है।

इस गाइडलाइन का उद्देश्य निम्नवत हैः –

(क) ऐतिहासिक आयोजनों का अध्ययन और उनसे सबक सीखना।

(ख) विभिन्न सामूहिक समारोह के प्रकार और उनकी व्यवहारगत गतिकी।

(ग) समारोह आयोजकों/प्रबंधको को भीड़ प्रबंधन हेतु बेहतर योजना बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना।

(घ) भीड़ प्रबंधन में IRS

(ड़) नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।

(च) स्थल प्रबंधकों और कार्यक्रम आयोजकों को वास्तविक दिशा–निर्देश प्रदान करना, ताकि भीड़ का प्रबंधन कर निर्धारित कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(छ) भीड़ प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका।

(ज) भीड़ प्रबंधन में मीडिया की भूमिका।

(झ) भीड़ प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण।

भीड़ प्रबंधन के सिद्धांत

भीड़ प्रबंधन बनाम भीड़ नियंत्रण भीड़ प्रबंधन में कार्यक्रम की समग्र योजना बनाना शामिल है, जिसमें कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर समापन तक सभी चरण शामिल होते हैं, जबकि भीड़ नियंत्रण में कार्यक्रम का वास्तविक संचालन शामिल है। भीड़ नियंत्रण में बुनियादी ढांचे का निर्माण और विभिन्न स्थितियों में संसाधनों की तैनाती और उनका संचालन शामिल है।

इंटेलिजेंस सेटअप किसी भी आयोजन प्रबंधन के लिए यह तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर संपूर्ण भीड़ प्रबंधन योजना की प्रक्रिया विकसित की जाती है। इसमें एक छोर पर भीड़ की गतिकी/व्यवहार एवं दूसरे छोर पर किसी भी संभावित अपराधिक उद्देश्यों की गतिविधियों का व्यापक सीमा है। स्थानीय निवासियों सहित सभी संभावित एजेंसियों को इंटेलिजेंस सेटअप के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

अग्रिम योजना योजना बनाना एक गतिशील प्रक्रिया है जो नए सुझावों एवं हितधारकों के साथ विकसित होती रहेगी। इसलिए इसे समय से पहले शुरू किया जाना चाहिए, ताकि सभी हितधारकों को रिहर्सल करने के साथ–साथ छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

एकीकृत दृष्टिकोण भीड़ प्रबंधन में विशेषतः नियोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में एजेंसियाँ शामिल होती है। समस्त विभाग और सम्बंधित एजेंसियाँ साथ ही सशस्त्र बल और नागरिक समाज संगठन/स्वयंसेवी संगठन को इस योजना प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही सम्मलित किया जाएगा।

कमान और नियंत्रण संरचना किसी भी योजना की सफलता आदेशों और निर्देशों की स्पष्टता पर निर्भर करती है। यह जरूरी है कि पदानुक्रमिक संरचना सुपरिभाषित हो और सभी को पता हो कि आदेश कहां से प्राप्त हो रहे हैं। "सभी एक छतरी के नीचे" यह योजना संचालन का सिद्धांत होना चाहिए।

भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में स्पष्टता उपरोक्त के साथ—साथ बिना किसी अस्पष्टता के विभागों/एजेंसियों की स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी सुपरिभाषित होनी चाहिए।

प्रौद्योगिकी का उपयोग बैक अप या वैकल्पिक साधनों के साथ मजबूत संचार प्रणाली का उपयोग, ड्रोन और यूएवी, राज्य ईओसी के अंतर्गत रियल टाइम जानकारी के लिए जीआईएस का प्रयोग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

संगठनात्मक लचीलापन संगठनात्मक लचीलापन किसी आयोजन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। IRS भीड़ प्रबंधन के निष्पादन में लचीलापन प्रदान करती है और और यह भीड़ प्रबंधन के नियोजन प्रक्रिया की रीढ़ है।

एकीकृत कमान कमान को क्रियान्वित करने का एक तरीका एकीकृत कमान और नियंत्रण है जिसमें सभी सम्बंधित एजेंसियां किसी एकल बिंदु क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करती हैं। कई अधिकार क्षेत्रों या एजेंसीज से सम्बंधित घटनाओं हेतु भी एकीकृत कमान की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति में घटना हेतु जिम्मेदारी साझा करने वाले एजेंसीज / अधिकार क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंसिडेंट कमांडर, इंसिडेंट कमांड पोस्ट (आईसीपी) से प्रतिक्रिया का प्रबंधन करते हैं। एक एकीकृत कमान अलग—अलग भौगोलिक एजेंसीज को उनकी जिम्मेदारी या जवाबदेही को प्रभावित किए बिना प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने की अनुमति देती है। एक एकीकृत कमान के तहत, एक एकल Incident Action Planसभी सम्बंधित गतिविधियों को निर्देशित करेगी।

भीड़ प्रबंधन योजना के प्रति दृष्टिकोण

भीड़ प्रबंधन रणनीति

घटना विश्लेषण घटना की समग्र रूप से जांच करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित बिन्दुओ पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

आयोजन का प्रकार कुशल नियोजन के लिए आयोजन के उद्देश्य को समझना आवश्यक है। आयोजन के प्रकार के आधार पर भीड़ की व्यवहार और भावनाओ में भिन्नता हो सकती है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोरंजन, खेल आयोजनों का प्रबंधन अलग—अलग होगा और यह आयोजन की योजना बनाने हेतु दिशा प्रदान करती है।

आयोजन को समझें आयोजन के आयोजनकर्ताओं द्वारा आयोजन की जटिलता को अच्छी तरह समझना चाहिए। आयोजन के भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध बुनियादी ढाँचा और साथ ही निर्मित किए जाने वाले ढांचे की क्षमता और उनमे होने वाले विस्तार का अध्यनन कर योजनाओ पर काम करना चाहिए।

आयोजन का मुख्य केंद्र हर आयोजन में ऐसे केंद्र बिंदु होंगे जहां लोग अधिक आयेंगे। यह संभव है कि आयोजन में एक से अधिक केंद्र बिंदु हों जिनके आस—पास उनसे सम्बंधित बिंदु हो। उदाहरण के लिए, किसी धार्मिक आयोजन में भगवान या देवी की मूर्ति के ''दर्शन'' और फिर नदी में पवित्र स्नान के लिए यह दोनों अलग—अलग स्थान हो सकते हैं। इन केंद्र बिंदुओं की पहचान की जानी चाहिए और फिर पूरी योजना बनाई जानी चाहिए।

जनसमूह को समझना भीड़ का प्रकार, व्यवहार, संभावित लिंग अनुपात, वृद्ध आबादी, बच्चों के साथ—साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग और बीमार लोगों का आंकलन करना महत्वपूर्ण है। लोगों की आस्था और विश्वास पर विचार करने की जरूरत है क्योकि इन आयोजनों में कई बीमार और विकलांग लोगों को भी लाया जाता है। भीड़ में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आये कुछ तत्वों की संभावना को नकारा नहीं

जा सकता। भीड़ को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने में अंतर होता है और योजना बनाने वालों को इसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। भीड़ को समझना भीड़ प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, चूँकि भीड़ में व्यक्ति अलग व्यवहार करता है अतः भीड़ के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में सम्मिलित सभी लोगो को इस विषय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

आकस्मिकता और संभावित जोखिम मूल्यांकन जब तक जोखिम और संभावित खतरों का आंकलन और उनका प्रलेखन न हो जाए, तब तक कोई योजना नहीं बनाई जानी चाहिए। परिसंकट, संवेदनशीलता, जोखिम और क्षमता मूल्यांकन भीड़ प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे निष्पादित किया जाना चाहिए। HRVCA समग्र रूप में होना चाहिए, जिसमें न केवल आयोजन का मुख्य क्षेत्र शामिल हो, बल्कि मुख्य आयोजन क्षेत्र की ओर जाने वाले विभिन्न मार्ग, परिवहन केंद्र और अन्य बुनियादी ढाँचे भी शामिल होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त संभावित आकस्मिकताओं के बारे में सोच कर उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। भीड़ की गतिकी से जोखिम की संभावना हो सकती है जैसे भीड़ के बढ़ने या गिरना से कुचल जाना इत्यादि। आयोजन स्थल पर गतिविधि से जोखिम की संभावना भी हो सकती है, जैसे कुछ अस्थायी संरचना का ढह जाना, खराब रोशनी विहिन क्षेत्र, अनुचित प्रवेश द्वार और निकास, खराब या दलदली जमीन, उपकरणों की विफलता जैसे होर्डिंग का गिरना, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना आदि।

स्थान प्रबंधन विभिन्न सुविधाओं हेतु स्थान की उपलब्धता के बारे में सोचा जाना चाहिए और इसके लिए योजना बनायी जानी चाहिए। कार्यक्रम की योजना बनाने पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक समय में मुख्य क्षेत्र / केंद्र बिंदु में भक्तों को समायोजित करने की इसकी क्षमता का प्रभाव पड़ेगा। अन्य Area Of Interestजैसे कि बस पर चढ़ने और उतरने वाले क्षेत्र, सभी प्रकार के परिवहन की पार्किंग, यातायात व्यवस्था आदि की सुव्यवस्थित योजना बनाने की आवश्यकता होगी। योजनाकारों/आयोजकों को ऐसे विभिन्न संस्थानों/प्रतिष्ठानों पर भी विचार करना होगा, जिनमें क्षमता है और जो आयोजन को प्रभावित कर सकते हैं।

भीड़ प्रबंधन की चुनौतियां

- भीड़ की तुलना में मुख्य क्षेत्र का स्थान सीमित होने से जटिलताएं बढ़ सकती हैं।
- धार्मिक और राजनीतिक सभाओं में भीड़ की भावनाएँ बहुत तीव्र होती हैं, जो तैनात बलों के परिचालन क्षेत्र को सीमित करती हैं।
- अत्याधिक उत्प्रेरक आकस्मिकताएँ।
- बड़े क्षेत्रों में भीड़ के एकत्र होने से उपलब्ध संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जो हमेशा अपर्याप्त होगा और उन पर अधिक दबाव होगा।
- बड़ी संख्या में शामिल अलग – अलग कार्य/एसओपी/कार्य शैली वाली एजेंसीज। इन एजेंसीज के एकीकरण पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी।
- इंटर – एजेंसी मतभेदों को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता होगी।
- बड़े क्षेत्रों की सुरक्षा हमेशा एक चुनौती बनी रहेगी।
- असमाजिक और अनियंत्रित तत्वों की उपस्थिति के संबंध में पूर्व सूचना एकत्रित करना।
- आतंकवादी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- आपातकालीन निकासी की योजना बनाना और उसे नियंत्रित रखना।
- उपरोक्त रणनीति के अनुसार, भीड़ प्रबंधन योजना गतिविधि को क्रमवार नीचे दर्शाया गया है–

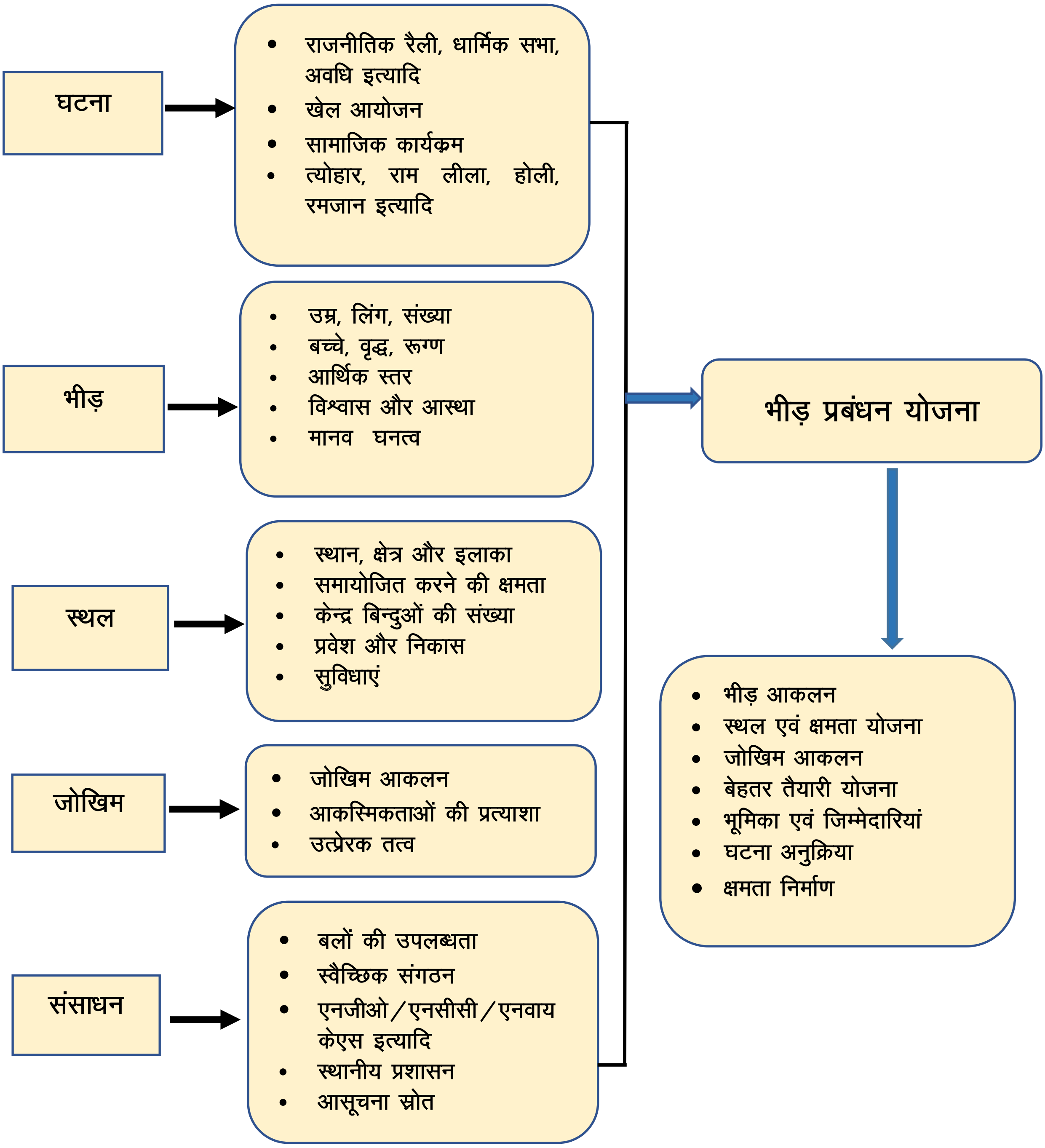

भीड़ प्रबंधन योजना गतिविधि

उत्प्रेरक बिन्दुओं (ट्रिगर पोइंट) की पहचान

यह महत्वपूर्ण है कि अशांति/भगदड़ भड़काने वाली विभिन्न संभावित आकस्मिकताओं के बारे में सोचा जाए और तदनुसार योजना बनाई जाए।

(क) **होर्डिंग/संरचनाओं का गिरना** बैरिकेड्स एवं अन्य संरचनाओं की भार वहन क्षमता का वैज्ञानिक रूप से आंकलन किया जाना चाहिए। होर्डिंग्स के स्थान का निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि लोगों के साथ उसका कोई सीधा संपर्क न हो। मौसम या कभी–कभी भीड़ के अधिक होने के कारण दोषपूर्ण/विनिर्देशनों पर खरा न उतरने वाली संरचनाओं के गिरने की संभावना होती है। जिसमे होर्डिंग, भक्तों के लिए लगाए गए शामियाना, रेलिंग आदि शामिल हो सकते हैं।

(ख) **जोखिम (खतरा) मूल्यांकन और सुरक्षा**

1. सुरक्षा आवश्यकता का गलत मूल्यांकन। सुरक्षा योजना सटीक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें संभावित आतंकवादी पहलू सहित हर संभावित तत्व सम्मिलित होने चाहिए।
2. राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक की सूचनाओं को शामिल करते हुए एक सुदृढ़ इंटेलिजेंस सेटअप की आवश्यकता।
3. भीड़ की भावनाओं और संभावित संव्यवहार पर पुलिस कर्मियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण।
4. सुरक्षा कर्मियों को तैनाती से पूर्व भीड़ नियंत्रण के संबंध में अपर्याप्त जानकारी देना।
5. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती।
6. पर्याप्त जनबल के साथ एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन उचित क्षेत्रीय तैनाती और पदानुक्रम और योजना भीड़ प्रबंधन हेतु पुलिस व्यवस्था में सेक्टर तैनाती के अंतर्गत एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती के साथ पर्याप्त फोर्स एवं पदानुक्रम का अभाव होना और योजना भीड़ प्रबंधन के संबंध में पूर्ण स्पष्टता के साथ भीड़ से निपटने हेतु पुलिस व्यवस्था बनाने में पर्याप्त वैज्ञानिक योजना का अभाव।
7. पुलिस व्यवस्था के सेक्टर प्रभारी और प्रभारी अधिकारी के बीच निर्विघ्न कॉल के लिए उचित वायरलेस कालिंग हेतु नियोजन का अभाव।
8. वास्तविक तैनाती से पूर्व पर्याप्त ड्रेस रिहर्सल का अभाव।
9. भीड़ पर निगरानी रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए पीए सिस्टम, बैकअप फोर्स और उचित वायरलेस संचार के साथ निगरानी टावरों का अभाव।
10. आवश्यकतानुसार भीड़ पर नियंत्रण रखने, निगरानी करने और मार्गदर्शन करने के लिए पीए सिस्टम के साथ सीसीटीवी निगरानी का अभाव।
11. घटना की स्थिति से सही तरीके से निपटने के लिए आब्जर्वर टावरों, सीसीटीवी और पीए सिस्टम पर काम करने वाले कर्मियों को पर्याप्त जानकारी का अभाव।
12. ड्यूटी पर तैनात पुलिस के लिए वॉकी–टॉकी की अपर्याप्त उपलब्धता।
13. सम्पूर्ण क्षेत्र में तोड़फोड़ रोधी जांच, आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी हमलों से बचाव के लिए अपर्याप्त सुरक्षा जॉच की व्यवस्था ।
14. तीर्थयात्रा के मार्गों को सुरक्षित करने के लिए अलग से सड़क व्यवस्था करने वाली एजेंसी का अभाव।

15. तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करने वाले तीर्थयात्रियों या समारोह क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टरों से जॉच हेतु जाँच एवं तलाशी का अभाव।
16. जन – समूहों तथा पुलिस, अन्य अधिकारियों आदि के बीच ताल–मेल न होना।
17. भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और निषेधाज्ञा लागू करने में पुलिस की विफलता।
18. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अश्रु गैस के गोले/बल प्रयोग/के कारण भगदड़ और दहशत फैलना।

(ग) **संस्थागत तंत्र में कमियां**

1. पदानुक्रमिक संरचना में अस्पष्टता, सभी हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए।
2. आयोजन में कार्यवायी एजेंसी/विभागों के बीच समन्वय का अभाव।
3. सामान संचार नेटवर्क का अभाव एवं विलंब।
4. निम्न एवं अपर्याप्त अवसंरचना योजना।
5. अपर्याप्त जल, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक परिवहन/पार्किंग सुविधाएं।
6. कर्तव्य दायित्व क्षेत्र की समझ का अभाव।
7. प्रमुख कार्मिकों की रिक्त/विलंब/देर से तैनाती।

(घ) **अग्नि दुर्घटनाएं**

1. सिलेंडर का फटना।
2. खाद्य स्टॉल विक्रेता द्वारा लापरवाही से केरोसिन तेल और गैस बर्नर का उपयोग।
3. अवैध कनेक्शन के कारण शॉर्ट सर्किट होना।
4. अग्निशामक यंत्रों की अनुपलब्धता/अथवा सेवा योग्य न होना। अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग हेतु अप्रशिक्षित कार्मिको का होना।
5. बंद स्थानों पर अनाधिकृत आतिशबाजी।
6. भवन एवं अग्नि संहिता का उल्लंघन।
7. दोषयुक्त और अनधिकृत विद्युत कनेक्शन।
8. एमसीबी, तांबे के तारों के स्थान पर एल्युमीनियम के तार आदि जैसी अनुपयुक्त फिटिंग का प्रयोग।
9. विद्युत जनरेटर से शॉर्ट सर्किट।
10. टेंट और शामियाना में आग लगना।

(ङ) **भीड़ नियंत्रण के अपर्याप्त उपाय**

1. भीड में सम्मिलित लोगो की संख्या का अपर्याप्त मूल्यांकन।
2. भीड़ में शामिल लोगों की संख्या का आंकलन करते समय लोगों की आस्था और संभावित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में न रखना।
3. भक्तों के दर्शन के पीक पीरियड को समझने में विफल रहना।
4. होल्डिंग क्षेत्रों की क्षमता से अधिक लोगों को आने की अनुमति देना।

5. विभिन्न होल्डिंग क्षेत्रों के मध्य रियल टाइम कम्युनिकेशन की कमी के कारण श्रद्धालुओं को अचानक स्थानांतरित होना।

6. सीमित होल्डिंग क्षेत्र, जहाँ अधिक लोगो का रोकने की सुविधा नहीं हैं व भगदड़ की संभावना अधिक है और इस प्रकार घबड़ाहट शुरू होना।

7. बंद/लॉक किया हुआ निकास।

8. स्टेजिंग/होल्डिंग क्षेत्र और भीड़ द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था।

9. बिजली आपूर्ति में विफलता के कारण भगदड़ फैलना।

10. अनियमित नौका सेवाएं, भीड़ के कारण नावों पर क्षमता से अधिक भार अथवा खराब रखरखाव वाली नावों का होना।

11. वैकल्पिक/आपातकालीन मार्ग न होना।

12. वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग एवं आवाजाही।

13. कतार को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त और मजबूत रेलिंग का अभाव।

14. होल्डिंग क्षेत्रों में विभाजन का अभाव।

15. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का अभाव।

(च) **भीड़ का व्यवहार**

1. अति विशिष्ट व्यक्ति/प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाने वाला कोई भी विशेष व्यवहार भीड़ की दृष्टि से दूर होना चाहिए, इससे भीड़ में नाराजगी उत्पन्न होती है।

2. होल्डिंग क्षेत्र में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने या रुकने से भीड़ अधीर हो जाती और उसका व्यवहार तर्कहीन हो जाता है। भीड़ को अपेक्षित प्रतीक्षा के बारे में सार्वजनिक पी ए सिस्टम के माध्यम से कराया जाना चाहिए। असंगत प्रतीक्षा की स्थिति में होल्डिंग क्षेत्र में भीड़ हेतु पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3. प्रवेश/निकास की ओर रास्ता बनाने के लिए भीड़।

4. कार्यक्रम के आरंभ/समापन समय के बाद कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने का प्रयास करने वाली भीड़।

5. अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग–अलग रास्तों की आवश्यकता, अंदर आने वाले आगंतुकों और बाहर जाने वाले लोगों के बीच टकराव।

6. आपदा राहत आपूर्ति वितरण के दौरान भीड़–भाड़।

7. नौका पर अधिक संख्या में तीर्थयात्री द्वारा चढ़ने का प्रयास करना।

8. भोजन/प्रसाद/भिक्षा/कंबल/नकदी/कपड़े का वितरण जिससे भीड़ बढ़ने की सम्भावना होती है।

9. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति/अति विशिष्ट व्यक्ति की एक झलक/ऑटोग्राफ पाने के लिए होड़।

10. प्रचार कार्यक्रमों की सीमित अवधि के कारण बड़ी (अपेक्षा से कहीं अधिक) उत्सुक और प्रतिस्पर्धी भीड़ का एकत्रित होना।

11. कार्यक्रम स्थल पर आच्छादित/निःशुल्क/असंख्यांकित सीटें पाने के लिए दौड़ना।

12. कार्यक्रम स्थल में पुनः प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास करती भीड़ (मिश्रित अंतर्वाह/बहिर्वाह)।

13. धार्मिक नेताओं द्वारा दिए गए प्रवृत्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए गलत मार्ग अपनाना।

14. ट्रेन के आगमन/प्रस्थान के लिए प्लेटफार्म में अंतिम समय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कम समय में अचानक भीड़ की आवाजाही का होना।

15. लोगों का अचानक विपरीत दिशा में प्रवाह।

16. प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन।

17. अफवाहों से दहशत फैलती है और इसका काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका पी ए सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से टीवी पर लाइव प्रदर्शन के माध्यम से भीड़ को जागरूक रखना है।

(छ) **अफवाहों** से अभूतपूर्व प्रकार की दहशत फैल सकती है और योजना निर्माण चरण में ही इस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए कुशल पीए सिस्टम और बलों की तैनाती महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उत्प्रेरक (ट्रिगर) बिन्दु और इसके लिंकेज का सारांश

ट्रिगर बिन्दु और इसके लिंकेज के संभावित तत्वों का सारांश निम्नवत है : –

(क) संरचनात्मक विफलता (2008 नयना देवी, 2008 जोधपुर मंदिर और 2010 प्रतापगढ़ प्रसंग)

(ख) भीड़ की समझ का अभाव – उन्हें asset के रूप में उपयोग करने में विफलता (पर्याप्त विवरण में उनका उपयोग/अध्ययन नहीं उपलब्ध है)

(ग) भीड़ की संरचना, व्यवहार, आदि के संदर्भ में गलत अनुमान (2005 मंढेर देवी मंदिर)

(घ) भीड़ की तुलना में उपलब्ध जगह के आंकलन में विफलता। (1999 सबरीमाला घटना)

(ड़) स्थल पर अपूर्ण तैयारी – समतलीकरण का अभाव, फिसलन/गीला क्षेत्र (2005 मंढेर देवी मंदिर)

(च) संस्थागत व्यवस्था में कमी – हितधारकों द्वारा उनकी भूमिकाओं के प्रति उदासीन रवैया (1997 उपहार सिनेमा त्रासदी, दिल्ली विद्युत बोर्ड, नगर निगम के नियमों का उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप अनधिकृत निर्माण/परिवर्तन, विभिन्न नियुक्तिया/पदस्थापना, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध जाना/अनदेखी करना)

(छ) पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवस्था (1994 गोवारी घटना लाठीचार्ज)

(ज) नदी के बदलते मार्ग का संज्ञान लेने में विफलता (1954 कुंभ मेला)

(झ) वीआईपी संस्कृति–वीआईपी प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों का विचलन (1954 कुंभ मेला)

(ञ) परिधीय/बाहरी मार्गों का संज्ञान लेने में विफलता (1999 सबरीमाला, 2013 प्रयागराज रेलवे स्टेशन भगदड़)

(ट) कार्यक्रम–स्थल तक पहुंचने का रास्ता संकरा होना (2011 सबरीमाला भगदड़)

(ठ) अफवाह फैलाना (2010 प्रतापगढ़ भगदड़, 2005 चेन्नई भगदड़, 2008 जोधपुर मंदिर भगदड़)

(ड) पिछली घटनाओं से प्राप्त अनुभव का उपयोग करने में विफलता (2008 नैना देवी भगदड़)

(ढ) भीड़ के सापेक्ष उपलब्ध छोटा स्थान (2005 मंढ़ेर देवी, 1999 सबरीमाला)

(ण) सुरक्षा बलों की अपर्याप्त तैनाती/भीड़ नियंत्रण हेतु अपर्याप्त उपाय (2005 चेन्नई घटना)

(त) अग्नि दुर्घटनाएं (2005 मंढेर देवी)

(थ) विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी (1997 उपहार सिनेमा त्रासदी)

जनपद स्तर पर योजना की तैयारी

यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक जनपद समय–समय पर अपनी भीड़ प्रबंधन योजना तैयार करे और उसका पूर्वाभ्यास करे। यह योजना उस स्थान की स्थानीय गतिकी के अनुरूप होनी चाहिए और आयोजन के क्षेत्र के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए आग, भगदड़ या छत/दीवार गिरने की स्थिति में सिनेमा हॉल में भीड़ को प्रबंधित करने के लिए अपनाया गया उपाय किसी भी बड़े पैमाने की राजनीतिक रैली या धार्मिक सभा को प्रबंधित करने के लिए अपनाए गए उपाय से भिन्न होगा।

यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर योजनाकार संभावित परिदृश्यों को समझें, अव्यवस्था के लिए विभिन्न ट्रिगर पॉइंट पर विचार–विमर्श करें, उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से प्रतिक्रिया का आंकलन करें, कमियों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो निरंतर सुधार के साथ विकसित होती रहेगी, जिससे क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न धार्मिक अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह प्रकार्यात्मक रूप से अनिवार्य है कि ऐसे आयोजनों की योजना सोच–समझकर बनाई जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो। आईआरएस प्रभावी प्रतिक्रिया की सिद्ध और परखी हुई पद्धति है, इसे जनपद स्तर पर भीड़ प्रबंधन योजना विकसित करने हेतु फ्रेमवर्क के रूप में प्रयोग करना चाहिए। भीड़ वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों जैसे सिनेमा हॉल, स्टेडियम, परिवहन केंद्र, शॉपिंग मॉल पर प्रयोग होने वाली योजनाएं भी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा तैयार की जाएंगी।

भीड़ प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए सुझाई गई रूपरेखा **संलग्नक 2** में संलग्न है।

योजना का निष्पादन

भीड़ प्रबंधन दृष्टिकोण

भीड़ प्रबंधन उपाय कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु की सेवा क्षमता दर पर निर्भर करता हैं। स्टेजिंग क्षेत्र में प्रवेश और उस क्षेत्र से बाहर निकलने सहित लोगों का आवाजाही मुख्य क्षेत्र में उपलब्ध सेवा क्षमता से निर्धारित होता है। होल्डिंग क्षेत्र में कितनी संख्या में लोगो को समायोजित किया जाना है यह उस संख्या को दर्शाएगा। अतः, भीड़ नियंत्रण में अनिवार्य रूप से चार तत्व सम्मिलित होंगे : मुख्य स्थल पर सेवा दर, आगंतुकों को नियंत्रित करना, स्टेजिंग/होल्डिंग क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित करना और रोकना तथा आवागमन को नियंत्रित करना।

कार्यक्रम के आयोजकों को भीड़ में शामिल लोगों की संख्या, आगमन पैटर्न और कार्यक्रम स्थल की क्षमता के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यदि मांग भीड़ से अधिक है, तो भीड़भाड़ और अव्यवस्था होगी, इसलिए अंतर्वाह नियंत्रण की आवश्यकता है।

अंतर्वाह नियंत्रण अंतर्वाह नियंत्रण हेतु सुझाव इस प्रकार हैं : –

(क) अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया। प्रायः आगंतुक के प्रथम आगमन स्थल, स्टेजिंग क्षेत्र (यह आईआरएस के स्टेजिंग क्षेत्र से भिन्न है, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए अनुक्रिया बलों के लिए प्रयोग होती है)।

(ख) ऑनलाइन पूर्व बुकिंग/पंजीकरण करने वालों को प्राथमिकता वाली कतारों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।

(ग) पीक टाइम के दौरान वीआईपी को कोई प्राथमिकता नहीं देना।

(घ) बुजुर्गों, छोटे बच्चों के साथ वाली महिलाओं, दिव्यांगों के लिए परिवहन सहित विशेष व्यवस्था।

(ड़) आयोजन क्षेत्र में सामान्य आरामदायक आवश्यकता का होना : बैठने की व्यवस्था, पानी, जलपान आदि।

(च) भीड़ की प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए योजनाओं पर पहले से विचार किया जाना चाहिए।

भीड़ नियंत्रण के महत्वपूर्ण पहलू

(क) भीड़ की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए भीड़ के उन्माद एवं व्यवहार के बारे में पहले से सोचना।

(ख) भीड़ नियंत्रण कर्मचारी दृश्यमान होने चाहिए तथा उन्हें आगंतुकों में विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिए।

(ग) भीड़ नियंत्रित करने वाले कर्मचारियों को प्रत्येक चरण की गतिविधियों और प्रगति के बारे में पता होना चाहिए और किसी भी बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, जैसे कि अनियोजित देरी के कारण लंबे समय तक रोके रहने की प्रगति की जानकारी होना।

(घ) वैकल्पिक प्रवेश एवं निकास की उपलब्धता।

(ड़) कर्मचारियों के बीच सुदृढ़ और विश्वसनीय संचार व्यवस्था।

भीड़ प्रबंधन के आवश्यक तत्व भीड़ प्रबंधन के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं : –

स्टेजिंग क्षेत्र भीड़ प्रबंधन प्रक्रिया में स्टेजिंग क्षेत्र प्रथम बिंदु होना चाहिए, यह वो क्षेत्र है जहाँ आगंतुक रिपोर्ट करते हैं। लोगों का पंजीकरण और सभी प्रलेखन की जाँच स्टेजिंग क्षेत्र में किए जाते हैं। जब

भीड़ को किसी भी समयावधि के लिए रोकना पड़ता हो तो यह सुविधा उस स्थिति में होल्डिंग क्षेत्र के उद्देश्य को भी पूरा करती है इसलिए, यह आवश्यक है कि इस सुविधा में पर्याप्त जगह और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हों। विभिन्न गतिविधियों को देखने के लिए सीसीटीवी और पी ए सिस्टम भी स्थापित किये जाने चाहिए।

होल्डिंग क्षेत्र और रिलीज प्वाइंट भीड़ और सम्मिलित लोगों की संख्या एवं प्रकार के आधार पर, होल्डिंग क्षेत्र और रिलीज प्वाइंट स्थापित किए जाते हैं, जिनमें भीड़ की सुख–सुविधा के लिए सभी सुविधाएं होनी चाहिए।

चिकित्सा सहायता चौकी आगंतुकों की मूल चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे स्थापित किया जाना चाहिए। भीड़ की संख्या के आधार पर अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता चौकी की आवश्यकता हो सकती है।

वैकल्पिक आंतरिक मार्ग/परिपथ यह भीड़ प्रबंधन योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा और इसे कभी भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वैकल्पिक मार्ग हमेशा किसी भी आपातकालीन निकासी के लिए बाधा मुक्त हो।

हेलीपैड का प्रावधान हेलीपैड आपातकालीन निकासी योजना का हिस्सा है और इसकी हमेशा व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्रद्धालुओं हेतु सुझाया गया फ्लोचार्ट **संलग्नक 3** में दर्शाया गया है।

सूचना प्रबंधन और प्रसार

आवश्यक जानकारी के अभाव में, लोगों का घबरा जाना सामान्य मानवीय व्यवहार है जिस कारण लोगों का अप्रत्याशित प्रवाह होता है, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अतः आगंतुकों को अनुमान लगाने और उनके विवेक पर न छोड़ें। उक्त के दृष्टिगत, समय पर उचित जानकारी उपलब्ध कराना भीड़ में व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगी। जिस हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि आगंतुकों को आवश्यक सूचना ससमय पर प्राप्त हो। इस उद्देश्य हेतु स्टेजिंग क्षेत्र, स्वागत केंद्र, होल्डिंग क्षेत्र आदि स्थानों पर सीसीटीवी, पीए सिस्टम, बोर्ड और संकेतक आदि लगाए जाने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त, यह भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हितधारकों जैसे सरकारी अधिकारियों, आयोजन प्रबंधकों, सीएसओ, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संगठनों को कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया जाए इससे उनके मध्य समय पर सूचनाओं का आदान–प्रदान होगा एवं लोगा का सुचारू आवागमन होगा। इस सूचना प्रसार पद्धति को निम्नवत वर्णित किया गया है।

आगंतुकों के लिए निम्नलिखित कार्य–प्रणाली अपनाई जा सकती है–

(क) कार्यक्रम से पहले आगंतुकों को जानकारी देने के लिए स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रेस का उपयोग करें, ताकि लोगों को व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिल सके।

(ख) कार्यक्रम का विज्ञापन करने के लिए होर्डिंग्स, बिलबोर्ड आदि लगाएं, जिसमें विस्तृत जानकारी हो तथा यह भी बताया जाए कि आगंतुकों से क्या अपेक्षाएं हैं।

(ग) एक परामर्शी जिसमें यह वर्णित हो कि आयोजन स्थल पर किन वस्तुओं की अनुमति दी जा सकती है और किन वस्तुओं की नहीं।

(घ) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे होटल, रेस्तरां, अस्पताल, परिवहन केंद्र, पुलिस स्टेशन आदि का विवरण।

(ड़) समय का विवरण।

(च) आयोजन स्थल तक पहुंचने का मार्ग मानचित्र तथा आयोजन स्थल का आंतरिक परिपथ।

(छ) विभिन्न आवश्यक संपर्क सूत्र, जैसे पुलिस, चिकित्सा, स्वागत केंद्र, ऑनलाइन बुकिंग विवरण, एम्बुलेंस आदि का विवरण।

(ज) लॉकर सुविधा।

(झ) मौसम की अद्यतन सूचना।

(ञ) भीड़ को पूर्व से ही यह जानकारी दी जानी चाहिए कि यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें साथ ही मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, आपातकालीन स्थिति सहित प्रवेश और निकास के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

कार्यक्रम आयोजकों के लिए आयोजकों द्वारा पूर्व में आए लोगो की संख्या भी उपलब्ध करना चाहिए। धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए भीड़ की अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाते हुए आवश्यक व्यवस्था रखी जायें। सरकार द्वारा विशेष परिवहन व्यवस्था एवं अन्य किए गए प्रबंधों के बारे में आयोजकों को सूचित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम प्रबंधकों को सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के परिचालन हेतु तालमेल बिठाना चाहिए ताकि उन्हें आईआरएस की समूर्ण जानकारी हो।

सुरक्षा कर्मी सुरक्षा कर्मियों को संभावित खतरे की स्थिति और ट्रिगर पॉइंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह वांछनीय है कि घटना से पहले ट्रिगर पॉइंट्स पर पूर्ण विचार–विमर्श किया जाए और साथ ही मॉक ड्रिल भी आयोजित किए जाए। सभी प्रवेश/निकास और आईआरएस सुविधाओं के साथ आयोजन स्थल का विस्तृत नक्शा, आराजक/शरारती तत्त्व सम्बन्धी सूचना भी उनके साथ साझा की जानी चाहिए।

स्थानीय निवासी स्थानीय निवासी नियमित या आपातकालीन स्थिति में हमेशा बहुत उपयोगी होते हैं, और उन्हें योजना बनाने के चरण में ही शामिल कर लेना चाहिए। स्थानीय लोग अपने क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं और स्थानीय सुचना लोगो को प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय लोगों को सड़कों के अस्थायी रूप से बंद होने और मार्ग परिवर्तन, वीआईपी के दौरे सहित विभिन्न कार्यक्रमों और निकासी और अनुक्रिया योजनाओं के बारे में भी सूचित रखा जाना चाहिए।

संकेतक (साइनेज) साइनेज उचित स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सभी साइनेज को उचित दूरी पर रखा जाए, जहां कार्रवाई अपेक्षित है वहां ससमय सही जानकारी प्राप्त हो, ताकि आगंतुकों को अनुक्रिया का समय मिल सके और वे मानसिक रूप से तैयार रहें। साइनेज को गलत और बिना सोचे–समझे लगाने से अव्यवस्था बढ़ सकती है।

बचाव एवं सुरक्षा दिशा–निर्देश

निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :–

(क) वायरलेस संचार नेटवर्क से सुसज्जित निगरानी टावर। टावर के चारों ओर नो मैन्स लैंड बनाए रखा जाना चाहिए।

(ख) संपूर्ण भीड क्षेत्रवार मुख्य नियंत्रण कक्ष और ईओसी की सीसीटीवी निगरानी।

(ग) रियल टाइम जानकारी और निर्णय लेने के लिए यूएवी और ड्रोन का उपयोग।

(घ) भीड़ तक संदेश भेजने के लिए संचार चैनल (पीए सिस्टम आदि) रखें।

(ड़) सभी बैरिकेडिंग आगंतुकों हेतु दृश्यमान (रात के समय भी) होने चाहिए, ताकि आगंतुकों को ठोकर लगने से भगदड की स्तिथि न उत्पन्न हो।

(च) अत्यधिक भीड को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए।

(छ) वीआईपी आगंतुकों की देखभाल करने की योजना बनाएं। यदि भीड़ के आंकलन उपरांत यह लगे की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी, तो वीआईपी को प्रवेश देने से मना करने में संकोच न करें।

(ज) विदेशी आगंतुकों के पंजीकरण हेतु एक अलग हेल्पडेस्क रखें।

(झ) यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन निकास मार्ग पर बैरिकेडिंग, अवरोध या अन्य प्रकार से कोई अवरोध न हो।

(ञ) यह भी आवश्यक है कि सुरक्षा की दृष्टि से दुकानें सड़क के एक ही तरफ हो तथा 5–6 दुकानों के समूह के बाद 3 या 4 मीटर की जगह होनी चाहिए ताकि अप्रत्याशित भीड़ की स्थिति में व्यक्ति उस जगह से निकल सके।

(ट) आगंतुकों को खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक बोतलें आदि को स्पष्ट रूप से चिन्हित कूड़ेदानों में फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सड़कों की दोनों ओर पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान रखना सुनिश्चित करें। इससे न केवल स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा।

(ठ) हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवा, यद्यपि भीड़ को कम करती है और आपातकालीन निकासी हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी एक रास्ता बनाती है, लेकिन इसके संचालन हेतु सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यदि इन सेवाओं की कीमत बहुत अधिक है, तो यह केवल अमीर लोगों के लिए व्यवहार्य है और यदि कम कीमत है, तो भीड़ नियमित मार्ग से हटकर हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवाओं की ओर चली जाएगी और जिससे सेवाएँ बाधित हो सकती है।

संरचनात्मक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण अग्नि संरचनात्मक सुरक्षा दिशा–निर्देश इस प्रकार हैं :

(क) अग्नि सुरक्षा मानकों को लागू करें। विद्युत उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

(ख) सुनिश्चित करें कि ट्रांसफार्मर, जेनरेटर, वितरण बॉक्स, सर्किट ब्रेकर अलग–अलग स्थान पर हों और आम जनता की पहुँच से दूर हों। यदि आवश्यक हो तो चारों ओर पर्याप्त बाड़बंदी और सुरक्षा होनी चाहिए। बिजली के उपकरणों को मौसम से भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए, खास तौर से वज्रपात से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ।

(ग) ईंधन (जैसे जनरेटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डीजल) का सुरक्षित स्थान पर और स्पष्ट रूप से लेबल लगाकर भंडारण किया जाना चाहिए।

(घ) भीड़ की आवाजाही के मार्ग में आने वाले बिजली के तारों, केबलों आदि अकारण ही गिर सकने जैसी घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन्हें ढक दिया जाए या जमीन के नीचे दबा दिया जाए या जर्जर तारो को समय पर बदल दिया जाए।

(ड़) सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र हों और वे उपयोग के लिए उपयुक्त प्रकार (पानी/फोम/पाउडर) के हों।

(च) कार्यस्थल पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामक हाइड्रेंट और दमकल गाड़ियां तथा जलने से होने वाली चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होनी चाहिए।

(छ) पर्याप्त संख्या में पानी की टंकियां बनाई/स्थापित की जानी चाहिए।

(ज) केवल अधिकृत विक्रेताओं को ही खाना पकाने और खानपान में शामिल किया जाना चाहिए। पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं। पुलिस और कार्यक्रम आयोजकों द्वारा औचक जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक लाइसेंसधारी ही बिक्री कर रहें हों। गैर सरकारी संगठनों को अनियमितताओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(झ) सुनिश्चित करें कि लिफ्ट, सीढ़ियाँ अच्छी तरह से प्रकाशित हों, कार्यशील स्थिति में हों तथा उन तक पहुँच में कोई अवरोध/बाधा न हो।

(ञ) यह सुनिश्चित करें कि सभी संरचनाएं और विद्युत वायरिंग/उपकरण सरकार द्वारा अधिकृत यथा नामित या कौन प्रमाणित कर सकता है संबंधी आदेशों में यथा निर्दिष्ट तकनीकी रूप से योग्य कर्मियों द्वारा सुरक्षित प्रमाणित किया गया है।

सुरक्षा एजेंसी आयोजन स्थल पर सुरक्षा एजेंसियो के सुझाए गए कार्य :–

(क) कभी भी तैनाती और गतिविधियों के एक निर्धारित पैटर्न का पालन न करें।

(ख) उपद्रवियों और समस्या पैदा करने वाले तत्वों की पहचान करना।

(ग) सभा के उद्देश्य, अभिप्रेरणा (राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन आदि) का निर्धारण करें।

(घ) पूर्व–आयोजना में कार्यक्रम आयोजकों के साथ मिलकर काम करें।

(ङ) अन्य हितधारकों के साथ नियमित आंतरिक/बाह्य संचार/ब्रीफिंग रखें।

(च) कार्यक्रम स्थल का दौरा कर कार्यक्रम स्थल और भीड़ की सम्पूर्ण गतिविधि को समझें।

(छ) कार्मिकों, वाहनों, बाधाओं (बैरिकेड्स) और अन्य उपकरणों के संदर्भ में स्थिति और आवश्यक संसाधनों का निरंतर आंकलन और समीक्षा करें।

(ज) प्रमुख कार्मिकों को पहले से ही तैनात कर दें।

(झ) बल प्रयोग के लिए स्पष्ट नियम जारी करें। न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग किये जाने को याद रखें।

(ञ) सम्पूर्ण सुरक्षा और तोड़फोड़ विरोधी जांच के माध्यम से स्थल को सुरक्षित करें।

(ट) डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद शारीरिक तलाशी।

(ठ) समय–समय पर टिकट/परमिट की जांच।

(ड) प्रवाह को विनियमित करना।

(ढ) तैनाती का पूर्वाभ्यास करना तथा समुचित प्रचार के साथ आपदा प्रबंधन का मॉक अभ्यास पहले ही कर लेना।

(ण) आयोजन स्थल पर अपराध और चोरी की रोकथाम के लिए हमेशा योजना बनाए रखें।

(त) बैरिकेड पर कर्मी की तैनाती।

(थ) पुलिस विभाग को नागरिक समाज संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों सहित हितधारकों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहले से ही सहयोग और समर्थन मांगना चाहिए।

(द) किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पीड़ितों/मृतकों को निकटवर्ती अस्पताल ले जाना।

अवरोधक (बैरियर) का प्रयोग इसका प्रयोजन लोगों और वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करना होना चाहिए। बैरियर का प्रकार और इसकी सामग्री अभीष्ट उद्देश्य, भीड़ के घनत्व और प्रत्याशित बल के अनुरूप होनी

चाहिए। उदाहरण के लिए, वाहनों की आवाजाही के लिए अवरोधक बड़ी, भारी वस्तुओं से बने होने चाहिए और फुटपाथ, यदि कोई हो, सहित सड़क की पूरी चौड़ाई को कवर करना चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि अवरोधक मजबूत और सुरक्षित होने चाहिए क्योंकि लोग कभी–कभी उन पर झुक सकते हैं। सभी बैरियर दिखाई देने चाहिए और यदि भीड़ रात के लिए हो तो क्षेत्र को ठीक से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

प्रमुख हितधारक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से जारी की जाएं और उनका पालन किया जाए, ताकि कार्रवाई निर्बाध और समय पर की जा सके।

प्रमुख पदाधिकारियों के लिए सुझाई गई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां **संलग्नक 4** में दी गई हैं।

इसी प्रकार, प्रमुख आईआरएस पदाधिकारियों के सुझाए गए चार्टर को घटना सम्बन्धी अनुक्रिया प्रणाली (आईआरएस) के कार्यान्वयन के तहत इस दस्तावेज के अगले भाग में सूचीबद्ध किया गया है।

घटना अनुक्रिया प्रणाली (IRS) का कार्यान्वयन

आईआरएस के आधार पर कार्यक्रम का आयोजन करना महत्वपूर्ण है। योजना अनुभाग को उपलब्ध संसाधनों के साथ कार्यक्रम की पूरी योजना बनाने की समग्र जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसमें जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त बलों के लिए आदेश भी शामिल है। प्रचालन अनुभाग घटना उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सभी कार्रवाईयों का निर्देश देता है। संभरण अनुभाग घटना के लिए सभी संभरण तत्व प्रदान करता है। यदि आवश्यक हो, तो आईआरएस की अंतर्निहित लचीलेपन का उपयोग करके एक अलग वित्त/प्रशासनिक अनुभाग भी स्थापित किया जा सकता है।

यूपी एसडीएमए ने घटना अनुक्रिया प्रणाली (IRS) संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा–निर्देशों में निम्नलिखित बात पर जोर दिया गया है : –

(क) व्यवस्थित एवं पूर्ण आयोजना प्रक्रिया।

(ख) स्पष्ट कमान क्रम।

(ग) घटना अनुक्रिया टीम के सदस्यों के लिए जवाबदेही की प्रणाली।

(घ) घटना अनुक्रिया प्रणाली के प्रत्येक सदस्य के लिए पूर्व–निर्धारित भूमिकाएं।

(ड़) प्रभावी संसाधन प्रबंधन।

(च) संबंधित एजेंसियों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना स्वतंत्र एजेंसियों को योजना और कमान संरचना में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए प्रणाली।

(छ) अनुक्रिया प्रयास में सामुदायिक संसाधनों का एकीकरण ।

(ज) उचित एवं समन्वित संचार व्यवस्था।

कार्यक्रम प्रबंधन के लिए सुझाई गई आईआरएस सुविधा **संलग्नक 5** में दर्शाई गई है।

IRS के अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न कारकों और भीड़ प्रबंधन में उनकी उपयोगिता विषय पर आगे चर्चा की गई है।

आपातकालीन प्रचालन केंद्र (EOC)

ईओसी की स्थापना, जो एक तरह से तंत्रिका तंत्र का केंद्र बिंदु है। भीड़ के कारण होने वाली आपदा की संभावना के कारण अनिवार्य है। यद्यपि जिला ईओसी अपने स्थायी स्थान से कार्य कर सकता है, यह वांछनीय है कि यदि आवश्यक हो और संभव हो, तो आयोजन के करीब एक उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त कर्मचारियों के साथ एक अस्थायी ईओसी की स्थापना की जाए, हालांकि, इसके स्थान के निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि यह भीड़ के बहुत करीब न हो। यह जिला ईओसी को समग्र नियंत्रण की उनकी जिम्मेदारी का निवर्हन करने से मुक्त नहीं करेगा। संबंधित क्षेत्र का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी घटना से निपटने के लिए अस्थायी ईओसी का प्रभारी होगा। आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन सेवा, प्रचार और अन्य क्षेत्र के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा उनकी सहायता की जाएगी।

ईओसी के संचालन हेतु दिशा–निर्देश :–

(क) घटना के आसपास के क्षेत्र में हो, लेकिन इतना सुरक्षित हो कि वह किसी भी प्रकार की भीड़ की अव्यवस्था से प्रभावित न हो और किसी भी स्थिति में अपने कार्य पर नियंत्रण रख सके।

(ख) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र का ग्रिड मानचित्र तैयार किया जाएगा, ताकि समस्याग्रस्त क्षेत्र को सटीकता से पहचाना जा सके तथा उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

(ग) इस मानचित्र में सभी प्रासंगिक डेटा जैसे स्वयंसेवक/पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, चिकित्सा आपातकालीन कक्ष, टोकन स्थान आदि की स्थिति शामिल होगी।

(घ) ईओसी कार्यक्रम के सभी कर्मचारियों और तत्वों के साथ संचार नेटवर्क पर रहेगा और आईसीपी के माध्यम से कार्यक्रम पर नियंत्रण रखेगा।

(ड़) सभी आपातकालीन सहायता सेवाओं का समन्वय इसी ईओसी से किया जाएगा।

(च) ईओसी सम्पूर्ण आयोजन क्षेत्र में गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा तथा प्रासंगिक होने पर आईआरटी के साथ–साथ आईसीपी को भी वास्तविक समय की जानकारी देगा।

(छ) यह केंद्र भीड़ की आवाजाही के लिए मुख्य मार्गों और वैकल्पिक मार्गों (प्रवेश और निकास के लिए स्टैंडबाय के रूप में चिह्नित) को मंजूर करने के लिए भी जिम्मेदार है।

(ज) यह केंद्र, योजना अनुभाग के साथ मिलकर खाद्य स्टालों, सार्वजनिक सुविधाओं, जल बिन्दुओं, विश्राम क्षेत्रों और प्रदर्शन के लिए व्यवस्था तंत्र की योजना बनाएगा/विनियमित करेगा।

(झ) आईआरएस सुविधाओं पर नियंत्रण।

(ञ) आईएमडी से नियमित मौसम अद्यतन।

(ट) घटना स्थल पर कानून और व्यवस्था, यातायात आदि, यदि कोई हो, बनाए रखने की आवश्यकताओं का आंकलन करना तथा कार्रवाई की रूपरेखा तय करना।

(स) प्रचालन अनुभाग के साथ संयोजन में उपयुक्त स्थान पर आईसीपी स्थापित करें। यदि घटना कई जिलों के अधिकार क्षेत्र में हो, तो भी एक आईसीपी होगी, जिसमें सभी जिलों से आपसी परामर्श और स्टाफ का प्रतिनिधित्व होगा। जहां भी आवश्यक हो, पूर्ण संचार उपकरणों और उपयुक्त कर्मियों के साथ मोबाइल वैन को आईसीपी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ड) स्वयंसेवकों और ऐसे अन्य कार्मिकों की तैनाती को मंजूरी देना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें जोखिम भरे मिशनों पर नियुक्त न किया जाए, जोखिमपूर्ण स्थितियों में केवल प्रशिक्षित कार्मिकों को ही भेजा जाए।

(ढ) मीडिया को सूचना जारी करने के लिए अधिकृत करना।

(ण) लोक शिकायतों की समीक्षा करना तथा आरओ (जिम्मेदार अधिकारी) को उपयुक्त शिकायत निवारण उपायों की सिफारिश करना।

(त) यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित स्थलों पर तैनात गैर सरकारी संगठन और अन्य सामाजिक संगठन उचित रूप से और न्यायसंगत तरीके से काम कर रहे हैं।

ईओसी के मूल तत्व

निम्नलिखित अवयवों को ईओसी का अभिन्न अंग होना चाहिए, चाहे वह अस्थायी/तदर्थ स्थान से संचालित हो रहा हो या स्थायी रूप से। इस केंद्र के निम्नलिखित अवयव होंगे

(क) **एकीकृत संचार प्रणाली** प्रत्येक ग्रिड बिंदु पर क्लोज सर्किट कैमरा लगाने से (कैमरा संचलन/दिशा नियंत्रण संचार केंद्र में निहित है) नियंत्रण केंद्र को जमीन पर स्थिति के बारे में तत्काल जानकारी मिल सकती है। स्थान के ग्रिड नंबर को कैमरे के डिस्प्ले में शामिल किया जाना चाहिए ताकि स्थान के बारे में जानकारी की स्पष्टता रहे। इससे प्रणाली अधिक सटीक हो जाती है।

(ख) **जीआईएस आधारित अनुप्रयोग** एनआरएससी के सहयोग से पूरे आयोजन की उपग्रह आधारित वास्तविक समय की तस्वीर समय–समय पर उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए। कार्रवाई हेतु प्रासंगिक जानकारी जुटाने के लिए ईओसी में जीआईएस विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

(ग) **सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली** सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली को मार्ग के सभी मुख्य बिंदुओं पर स्पीकर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। केबलिंग सुरक्षित होनी चाहिए और उसे ठीक से वाहक (कनड्यूट) में डाला जाना चाहिए। मार्ग में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की विफलता को रोकने के लिए यह आवश्यक है। उपयोग हेतु संपूर्ण नियंत्रण ईओसी के पास होना चाहिए। यह उस स्थान तक भी विस्तारित होगा जहां सामान्य परिस्थितियों में एम्बुलेंस खड़ी होती हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों को सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर की गई किसी भी कॉल का जवाब देना चाहिए।

(घ) **उद्घोषक** महिलाओं सहित कम से कम तीन वाचक होने चाहिए, जो स्थानीय भाषा और अन्य बोलियों (जनसांख्यिकी के आधार पर) में घोषणा कर सकें, ताकि अच्छा स्पष्ट संचार हो सके। उन्हें आपातकालीन निकासी योजनाओं, वैकल्पिक मार्गों, सुविधाओं के स्थान, मार्ग मानचित्र से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए और कार्यक्रम स्थल पर भीड़ की स्थिति को समझना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें एक जनसंपर्क अधिकारी और एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी या समकक्ष के माध्यम से जनता की मदद के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

(ङ) **प्रदर्शन (डिस्प्ले) प्रणाली** प्रदर्शन प्रणाली (टेलीविजन) को विभिन्न बिंदुओं पर रखा जाना चाहिए ताकि भीड़ में लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जा सके जैसे कि 'आज औसत सेवा समय ....है, 'सेवा के लिए '......' मिनट लगेंगे', कुछ भक्ति गीत जो लाइन में भीड़ के चिंता के स्तर को कम करेंगे। भिन्न भीड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदर्शन प्रणाली बहुभाषी होनी चाहिए।

(च) **रिपीटर युक्त बेस स्टेशन (वायरलेस)** संचार के वायरलेस मोड को तैनात पुलिस बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वायरलेस मोड से जोड़ना चाहिए और इसमें आवृत्ति का टकराव नहीं होना चाहिए। प्रेषित और प्राप्त आवृत्तियों के बीच पाँच मेगाहर्ट्ज चैनल स्पेसिंग

अनिवार्य है। बाधा मुक्त संचार सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन नियंत्रण केंद्र में कम से कम तीन सदस्यीय टीम होनी चाहिए। संस्थापना के लिए प्रारंभिक तैयारी में मार्ग पर परीक्षण संपर्कों के माध्यम से संचार का सत्यापन शामिल होना चाहिए।

(छ) **आपात चिकित्सा अनुभाग** इसे आईआरएस सुविधा की चिकित्सा सहायता चौकी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इस अनुभाग को अस्पतालों के साथ सीधे और समर्पित हॉटलाइन प्राप्त करनी है जो किसी भी आपदा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले से ही उद्दिष्ट हैं। इस अनुभाग में अस्पताल के अनुसार सभी डॉक्टरों के फोन नंबर होंगे। संचार विफलता के मामले में अस्पतालों के साथ सीधे संचार के लिए कम से कम 10 वायरलेस सेट होंगे।

आईआरएस : कमांड स्टाफ

यद्यपि प्रत्येक कमांड स्टाफ की नियुक्ति घटना की गंभीरता के आधार पर अलग–अलग होगी, लेकिन यह वांछनीय है कि प्रत्येक की भूमिका और जिम्मेदारी घटना के आधार पर विचार की जाए और उसी के अनुसार सौंपी जाए। कमांड स्टाफ घटना कमांडर के अधीन काम करता है।

सूचना एवं मीडिया अधिकारी (आईएमओ) कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में आईएमओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूचना एकत्रित करना, तैयार करना और प्रसारित करना जो नियोजन अनुभाग के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आयोजन के दायरे के आधार पर, एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और कार्य सौंपा जाना चाहिए।

सुरक्षा अधिकारी (एसओ) एसओ को स्थल सुरक्षा योजना की तैयारियों में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए और आईएपी बैठकों में भी भाग लेना चाहिए। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता के आधार पर, एक वरिष्ठ अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

संपर्क अधिकारी (एलओ) संपर्क अधिकारी सीएसओ और बाहरी संसाधनों जैसे सशस्त्र बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, रेलवे, एएआई और लाइन विभागों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटर–एजेंसी विवादों की निगरानी और समाधान भी एलओ द्वारा किया जाता है और इस कारण एलओ की नियुक्ति पर बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता होती है। मनोनीत एलओ के पास पर्याप्त वरिष्ठता और अनुभव होना चाहिए।

प्रशासनिक अधिकारी (एओ) आईआरएस बहुत लचीली प्रणाली है और इसे किसी विशेष स्थिति के अनुसार संशोधित किया सकता है। यह वांछनीय है कि प्रशासन से एक काफी वरिष्ठ अधिकारी (संवेदनशीलता के आधार पर राज्य या जिला स्तर) को समग्र नियंत्रण के लिए ईओसी में तैनात किया जाए। एओ की भूमिका और जिम्मेदारियाँ से संबंधित सुझाव नीचे सूचीबद्ध हैं, तथापि, स्थिति के आधार पर यह भिन्न हो सकते हैं।

(क) पुलिस, पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड, चिकित्सा, निजी एजेंसियों (सीबीओ, एनजीओ, आदि) जैसे संबंधित विभागों और विभिन्न स्थानों पर उनके प्रतिनिधियों की सूची बना कर रखना।

(ख) एनडीआरएफ और सशस्त्र बलों तथा सरकार के संबंधित विभागों सहित सभी संबंधित संसाधनों के साथ संपर्क बनाए रखना।

(ग) वर्तमान या संभावित इंटर–एजेंसी समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रचालन की प्रगति की निगरानी करना।

(घ) योजना बैठकों में भाग लेना तथा प्रतिभागी माध्यमों के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

(ड़) यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कार्मिक सहायता हेतु अनुरोध करना।

(च) सभी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों और उनके संसाधनों के आगमन के बारे में आईसी को सूचित किया जाना।

(छ) आईसी के साथ सभी सरकारी और गैर–सरकारी संसाधनों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना।

घटना अनुक्रिया टीम (IRT)

घटना अनुक्रिया दलों को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 16/1–11–2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 और संख्या 183/1–11–2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 के अनुसार कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। कार्य–सम्बन्धी योजना और संभरण अनुभाग घटना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और 'उद्देश्य द्वारा प्रबंधन' के सिद्धांत का पालन करेंगे। तीनों अनुभागों की जिम्मेदारियों से संबंधित सुझावों को आगे सूचीबद्ध किया गया है, तथापि, सटीक रूपरेखा घटना के क्षेत्र और गंभीरता पर निर्भर करेगी।

विभिन्न अनुभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित सुझाव नीचे दिए गए हैं।

(क) योजना अनुभाग

1. IC के परामर्श से IAP की योजना और तैयारी के लिए सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना।
2. संबंधित विभागों और अन्य स्रोतों से मौसम, पर्यावरण, संसाधनों की उपलब्धता आदि सहित घटना के बारे में जानकारी का संग्रह, मूल्यांकन और प्रसार सुनिश्चित करना। योजना अनुभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का एक डाटाबैंक होना चाहिए, जिसमें उनका पता भी शामिल हों, आवश्यकतानुसार जहाँ से उन्हें एकत्रित किया जा सके।
3. सभा की वर्तमान स्थिति का आंकलन करके तथा संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना और समन्वय करना। योजना अनुभाग को विभिन्न आकस्मिकताओं के बारे में पहले से सोचना होगा तथा उन्हें IAP में शामिल करना होगा।
4. IAP क्षेत्र तैयार करने के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं: –

    (क) क्षति और जोखिम की प्रारंभिक जानकारी और आंकलन।

    (ख) आवश्यक संसाधनों का आंकलन करना।

    (ग) घटना उद्देश्यों का गठन और रणनीति हेतु बैठकें आयोजित करना।

    (घ) कार्य सम्बन्धी व्यवस्था की ब्रीफिंग किया जाना।

    (ड़) IAP की तैयारी।

    (च) IAP की समीक्षा।

    (छ) यदि आवश्यक हो तो अगली प्रचालन अवधि के लिए घटना उद्देश्यों का सूत्रीकरण।
5. IC और OSC के परामर्श द्वारा IRS संगठनात्मक पदों को उपयुक्त रूप से सक्रिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना।

6. घटना प्रबंधन के लिए किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता का निर्धारण करना तथा IC और OSC के साथ संयोजन में उसके लिए आदेश देना।
7. नियोजन अनुभाग प्रमुख को ईओसी के सहयोग से सक्रिय नियोजन हेतु आईटी समाधान, निर्णय क्षमता के लिए जीआईएस और प्रभाव का आंकलन और अनुमान लगाने तथा व्यापक प्रतिक्रिया प्रबंधन योजना के लिए मॉडलिंग क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। जिस हेतु, ईओसी और पीएस के बीच निरंतर बातचीत की आवश्यकता है।
8. किसी घटना के होने की स्थिति में हुए या होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की निरंतर निगरानी करना तथा आईसी को रिपोर्ट करना।
9. आईआरएस/संसाधनों की निष्क्रियता और विघटन योजना तैयार करना और उसे क्रियान्वित करना।
10. आवश्यकतानुसार विभिन्न आईआरएस फॉर्म की तैयारी करना।

(ख) प्रचालन अनुभाग

1. प्रचालन के क्षेत्र का निर्धारण करना तथा सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना।
2. घटना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घटना कमांडर के साथ मिलकर क्षेत्रीय कार्यवाहियों के साथ समन्वय करना।
3. प्रचालन में शामिल कर्मियों और भीड़ में प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. IC के परामर्श से एवं IAP के अनुसार अपने अनुभाग में संगठनात्मक तत्वों को तैनात, सक्रिय, विस्तारित और पर्यवेक्षण करना।
5. कार्य हेतु कार्मिकों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्मिकों की नियुक्ति करना तथा विशिष्ट दिन के लिए ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना।
6. अपने अनुभाग की विभिन्न शाखाओं के बीच सभी विवादों का समाधान, सूचना का आदान–प्रदान, समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करना।
7. IAP में आवश्यक परिवर्तन हेतु IC को सुझाव देना।

(ग) लॉजिस्टिक अनुभाग

1. लॉजिस्टिक अनुभाग अन्य अनुभागों के कार्यों से सदैव अवगत रहेगा तथा सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय बनाए रखेगा।
2. स्टेजिंग क्षेत्र, घटना बेस, शिविर, चिकित्सा सहायता चौकी, हेलीपैड आदि की स्थापना सहित सभी घटना अनुक्रिया प्रयासों के लिए संभरण सहायता की योजना बनाना और उपलब्ध कराना।
3. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लॉजिस्टिक अनुभाग अन्य अनुभाग की गतिविधियों के साथ तालमेल बनाए रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि रिजर्व स्टॉक सहित पर्याप्त संभरण आवश्यकताएं निरंतर बनी रहें।
4. IAP के विकास और कार्यान्वयन में प्रतिभागिता करना।
5. वित्तीय मुद्दों के संबंध में RO और IC को सूचित रखना।
6. संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना।
7. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आंकलन करना तथा आरओ और आईसी के परामर्श से उनकी खरीद करना।

8. आयोजन की सम्पूर्ण वित्तीय योजना सुनिश्चित करना और लागत विश्लेषण करना।
9. सभी प्रकार के IRS फॉर्म तैयार है यह सुनिश्चित करना।
10. अपेक्षित संसाधनों की हायरिंग का उचित प्रलेखन किया गया है और वित्त शाखा द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित करना।

(घ) स्टेजिंग क्षेत्र (एसए) प्रबंधक

1. इस स्टेजिंग क्षेत्र को आगंतुकों के स्टेजिंग क्षेत्र के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह अनुक्रिया बलों के लिए IRS सुविधा है जो घटना के क्षेत्र में विकसित होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना का जवाब देने हेतु मंच तैयार करेंगे। उनके पास अपने वाहन, उपकरण और अन्य परिचालन के लिए आवश्यक सामग्री होंगी।
2. एसए की सभी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण करना और स्टेजिंग क्षेत्र को उचित लेआउट के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, इसे व्यवस्थित स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने–जाने वाले वाहनों, संसाधनों आदि में कोई बाधा न हो।
3. यह सुनिश्चित करना कि एसए में सभी प्रकार के संसाधनों के लिए पर्याप्त जगह है और इसके विस्तार की गुंजाईश हैं।
4. संसाधनों के भंडारण और प्रेषण को व्यवस्थित करना और आईएपी के अनुसार इसे आगे भेजे जाना सुनिश्चित करना।
5. सभी प्राप्तियों और प्रेषणों की रिपोर्ट ओएससी को देना तथा उनके रिकॉर्ड रखना।
6. सभी विकारीय आपूर्तियों का शीघ्रता से उपयोग करना।
7. एसए में जरुरत अनुसार सभी रखरखाव और मरम्मत उपकरणों की यथा आवश्यक मांग करना।
8. संसाधनों की स्थिति पीएस और एलएस को प्रदान करना।
9. विघटन योजना के अनुसार एसए को विघटित करना।
10. विभिन्न निष्पादित गतिविधियों और तैयार किए गए IRS फॉर्मों का अभिलेख रखना।

(ङ) टास्क फोर्स या स्ट्राइक टीम

1. अपनी टीम के सदस्यों के साथ कार्यो की समीक्षा करना।
2. कार्य की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट करना।
3. यदि समनुदेशित किया गया हो, तो स्ट्राइक टीमों और कृतक बलों के साथ गतिविधियों का समन्वय करना।
4. संचार स्थापित एवं सुनिश्चित करना।
5. किसी भी अन्य समनुदेशित कर्तव्य को पूरा करना।
6. विभिन्न गतिविधियों का अभिलेख बनाए रखना।

(च) घटना कमान चौकी (ICP) किसी भी स्थिति का सामना करने हेतु उपयुक्त टास्क फोर्स के साथ घटना क्षेत्र के करीब ICP भी स्थापित किया जाएगा। ICP प्रभारी (संचालन की प्रकृति के आधार पर) को आदर्श रूप से किसी भी स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु उपयुक्त स्थान पर अवस्थित होना चाहिए।

(छ) आईसीपी (ICP) प्रभारी के उत्तरदायित्व

1. योजना अनुभाग के साथ मिलकर एकीकृत भीड़ प्रबंधन योजना तैयार करना और यह सुनिश्चित करना सभी को समझ आए।
2. विभिन्न आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान लगाना और उनके उपाय हेतु अभ्यास करना।
3. टास्क फोर्स का चिन्हीकरण एवं उनकी उपयुक्त स्थान पर तैनाती।
4. लॉजिस्टिक अनुभाग प्रमुख के समन्वय से संसाधनों की उपलब्धता देखना एवं खरीद करना।
5. संचार नेटवर्क स्थापित करना और उसकी जांच करना।
6. संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर घटना के उद्देश्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना।
7. यह सुनिश्चित करना कि आईएपी (घटना कार्रवाई योजना) तैयार कर ली गई है और टीम के सदस्यों को आईएपी के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी दे दी गई है एवं हर 24 घंटे में इसकी समीक्षा करना और सभी संबंधितों को प्रसारित किया जाता है।
8. प्रत्युत्तरदाताओं और टास्क फोर्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
9. संसाधनों के आधार पर उद्देश्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना।
10. भीड़ के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करना तथा भीड़ में किसी भी अव्यवस्था को दूर करने के लिए तत्काल प्राथमिकताएं स्थापित करना।
11. आईआरटी तथा ईओसी सहित उच्च अधिकारियों को स्थिति एवं संसाधनों की आवश्यकता के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना।

आईआरएस का सक्रियण

घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए घटना प्रणाली की सक्रिय तैनाती की जानी चाहिए। घटना के अनुसार आईआरएस के संगठन की प्रकृति तथा संसाधनों की आवश्यकता निर्धारित होगी। छोटी घटनाओं हेतु पूरे संगठन की तैनाती की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है, तथापि, विभिन्न घटकों के कार्यों को एक साथ समामेलित न कर के अपितु कार्यों के लिए आवश्यक अधिकारियों से एक अधिकारी अधिक प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

एक भीड़ प्रबंधन से संबंधित घटना पर आईआरएस अधिरोपण सुझाव **संलग्नक 6** में दर्शाए गए हैं।

यातायात प्रबंधन

यातायात प्रबंधन भीड़ प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें आपातकालीन यातायात प्रबंधन भी शामिल है। बाहरी मार्गों से लेकर भीड़ के केंद्र बिंदु तक यातायात के प्रवाह की योजना बनाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मुख्य क्षेत्र के आंतरिक यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें घायलों को जल्दी से निकालने के लिए एम्बुलेंस परिपथ तय करना शामिल है। आयोजन स्थल के चयन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन निकासी में उपलब्ध परिवहन सुविधाओं, पार्किंग और यातायात प्रवाह पर विचार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन और यातायात प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांत, जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और अवांछित भीड़ और यातायात के प्रभाव को कम करना होना चाहिए।

पुलिस/यातायात नियंत्रण कर्मचारियों, आगंतुकों और स्थानीय निवासियों/गैर सरकारी संगठनों हेतु सामान्य यातायात प्रबंधन दिशा–निर्देश नीचे दिए गए हैं।

1. स्थल पर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों की संख्या का आंकलन पिछले डेटा और एकत्रित जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए। पार्किंग क्षेत्रों की संख्या और प्रत्येक में कितनी पार्किंग हो सकती है, इस आंकलन के आधार पर पार्किंग की क्षमता तय की जाएगी।
2. यातायात योजना स्टेजिंग क्षेत्र प्रबंधक और घटना कमांडर के समन्वय से बनाई जानी चाहिए।
3. परिवहन के हवाई आयाम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे समग्र परिवहन प्रबंधन में सम्मिलित किया जाए।
4. यातायात नियंत्रण कर्मचारियों को कार्यक्रम की आवश्यकताओं, अपेक्षित उपस्थिति, मुख्य कार्यक्रम स्थान और समय के बारे में जानकारी प्रदान करना , जिससे की वह अपेक्षित पार्किंग स्थान का आंकलन कर सके।
5. पीए सिस्टम, पार्किंग स्थल पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस के साथ वायरलेस संचार और वाहन संख्या की पहचान करने और पार्किंग क्षेत्र में यातायात का निरीक्षण और विनियमन करने के लिए दूरबीन अवलोकन टावर स्थापित करें।
6. दो/तीन पहिया वाहनों, कारों और बसों के लिए पार्किंग स्थल का स्पष्ट अभिनिर्धारण करें। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मुख्य स्थल से उचित दूरी पर रोक दिया जाना चाहिए। इससे सीधे मुख्य स्थल पर भीड़ के नियंत्रण में मदद मिलेगी।
7. वाहनों की आवाजाही को कार्यक्रम के मुख्य स्थल से सुरक्षित दूरी पर रोक दिया जाना चाहिए। तथापि, आवश्यकतानुसार बुजुर्गों/विकलांगों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हेतु, यदि आवश्यक हो एवं कोई अन्य व्यवस्था उपलब्ध न हो तो एम्बुलेंस ट्रैक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

8. आपातकालीन स्थिति में परिवर्तन/वैकल्पिक रूटिंग यातायात योजना का हिस्सा है।

9. पार्किंग स्थल से आगे वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करना।

10. वाहनों की पार्किंग को विनियमित और व्यवस्थित करना। सार्वजनिक/निजी परिवहन प्रणाली के समापन का स्थान बड़ा होना चाहिए एवं प्रवेश और निकास मार्ग स्पष्ट रूप से चिह्नित होना चाहिए।

11. कार्यक्रम से पहले नियमित रूप से पार्किंग स्थल का दौरा/जांच करें।

12. सभी ट्रेनों और बसों की समय–सारणी पार्किंग क्षेत्र और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि सभी हितधारकों और आगंतुकों को पीक टाइम के बारे में पता हो। इसी तरह, रेलवे स्टेशन और तथा बस स्टेशन पर रूट चार्ट सहित मुख्य कार्यक्रम स्थल का मानचित्र प्रदर्शित किया जाना चाहिए। रेलवे/बस स्टेशन पर समय–समय पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली पर प्रासांगिक जानकारी की लगातार घोषणा की जानी चाहिए।

13. सभी सीएसओ/स्वयंसेवक/एनसीसी कैडेट्स/एपीडीए मित्रा/एनवाईकेएस/एनएसएस/रेड क्रॉस/सीडी संगठन यातायात प्रबंधन सहित कार्यक्रम की योजना बनाने की मुख्यधारा में शामिल हो यह सुनिश्चित करना।

14. रेलवे और बस ऑपरेटरों के साथ पहले से समन्वय स्थापित कर लें ताकि वे एकतरफा रूप से बहुत अधिक विशेष रेलगाड़ियों/बसों की घोषणा न करें।

15. पार्किंग स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क चौराहों और पैदल यात्री क्रॉसिंग पर स्टाफ की आवश्यकता का आंकलन करना।

16. आयोजन स्थल के आसपास की सड़कों पर वाहनों के आवागमन को निषेध करना, जिससे अनियंत्रित भीड़ से बचने में मदद मिलेगी।

17. प्रमुख स्थानों के बीच शटल बस सेवाएं शुरू करना।

18. प्रशासनिक/आपातकालीन मार्गों की स्पष्ट पहचान करना जो वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेंगे और उन पर संकेतक एवं उचित बाड़ लगाना ताकि अनधिकृत गतिविधियों से संभावित अवरोध को रोका जा सके।

19. आपातकालीन मार्ग मौसमरोधी हों यह सुनिश्चित करना।

20. मार्गों/बस स्टॉप पर आश्रय स्थल उपलब्ध कराना।

21. सड़कों पर अवैध निर्माण हटाना।

22. वीआईपी, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिकों की आवाजाही, उपलब्धतानुसार अलग मार्ग से होनी चाहिए। अन्यथा, अल्प अवधि के लिए प्रशासनिक/आपातकालीन मार्ग का उपयोग करने पर विचार करना।

23. मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश हो यह सुनिश्चित करना।

24. उचित स्थान और समय पर यातायात को सुचारू बनाने हेतु बैरिकेड्स और डायवर्जन का निर्माण करना।

25. आयोजन स्थल के रास्ते में अस्थायी प्रतीक्षालय बनाना एवं आगंतुकों की संख्या सीमित करने हेतु इन प्रवेश द्वारों पर टिकटिंग और पंजीकरण प्रणाली लगाई जा सकती है।

26. सम्पूर्ण मार्ग पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में संकेतक लगाया जाना चाहिए।

27. आयोजन से कुछ दिन पहले यातायात नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास करना और उसे क्रियान्वित करना ताकि स्थानीय लोग इससे अवगत हो सके।

आपातकालीन परिवहन योजना

1. आयोजन से पूर्व आपातकालीन/आकस्मिक यातायात प्रबंधन योजना बनाना सुनिश्चित करें।
2. हेलीपैड क्षेत्र की योजना बना कर, उसे चिह्नित किया जाना चाहिए, और उसका पूर्वाभ्यास किया जाना चाहिए। आपातकालीन दुर्घटना निकासी में यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी।
3. बसों, एम्बुलेंसों, वैन आदि की त्वरित आवागमन के लिए आकस्मिक/आपातकालीन योजना बनाएं।
4. स्टैंडबाय एम्बुलेंस के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करें।
5. कार्यस्थल से निकटवर्ती अस्पतालों तक आपातकालीन मार्गों को परिनिश्चित करें।

पीपा पुल राज्य में धार्मिक आयोजन मुख्यतः नदियों के किनारे होते हैं, चाहे वह प्रयागराज हो, अयोध्या हो अथवा मथुरा हो, जहाँ श्रद्धालु नदियों में पवित्र स्नान करते हैं। यह वांछनीय है कि आवश्यकतानुसार तैरते पीपा पुल बनाए जाएँ, जिससे न केवल यातायात की रुकावटें कम होंगी, बल्कि आपातकालीन निकासी की स्थिति में भी इनका उपयोग किया जा सकेगा।

आकस्मिक योजना

आकस्मिक योजना संभावित जोखिम को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ताकि किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति का सामना करने में व्यक्ति और संस्थाएँ पीछे न रह जाएँ। इसे संकट प्रबंधन के साथ भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में, दोनों शब्द पूरक हैं। आकस्मिक योजना संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने की प्रक्रिया है, जबकि संकट प्रबंधन आपात स्थितियों के घटित होने पर उनका समग्र प्रबंधन है। इसलिए, जिला अधिकारियों का यह दायित्व है कि उन सभी संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक योजना को शामिल करें, ताकि आपदा आने पर तैयार रहें।

आकस्मिक योजना जोखिम विश्लेषण के अनुरूप होगी जिसमें विभिन्न संभावित ट्रिगर बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है और प्रत्येक के लिए योजनाएँ विकसित की जाती हैं। अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न अकल्पनीय परिदृश्यों पर विचार–विमर्श करके एक समग्र योजना तैयार करें। सड़क अवरोधों के कारण किसी मरीज को हवाई मार्ग से ले जाने की स्थिति हो सकती है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर और हेलीपैड की व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो, जिससे रिजर्व/सुदृढीकरण की आवश्यकता हो। इसी तरह, नाव पलटने या पुल ढहने जैसी आकस्मिकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

भीड़ प्रबंधन में मीडिया

आचार संहिता मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और भीड़ प्रबंधन के सभी चरणों के दौरान इसका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। आयोजकों को योजना बनाने के चरण से ही मीडिया को शामिल कर लेना चाहिए। भीड़–भाड़ वाली जगहों पर भीड़ प्रबंधन में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह प्रचालन अनिवार्यता है कि मीडिया जिम्मेदारी से काम करे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया : पत्रकारिता आचरण के मानदंड, 2010 मीडिया के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। भीड़–भाड़ वाली जगहों की कवरेज के लिए प्रासंगिक संहिताओं को मीडिया कर्मियों को सक्रिय रूप से प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जा सके।

सत्य और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग मीडिया को वस्तुनिष्ठ, तथ्यात्मक और संवेदनशील होना चाहिए। उसे गलत, निराधार, भ्रामक या विकृत सामग्री के प्रकाशन से बचना चाहिए। अनुचित अफवाहों और अनुमानों को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया द्वारा लोगों को सूचित और शिक्षित करना चाहिए, उन्हें डराना या भयभीत नहीं करना चाहिए।

मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित परिसंकट समाज के कार्यों और चूक के कारण आपदा बन जाते हैं। इसलिए, मीडिया सहित सभी हितधारकों द्वारा निवारक कार्रवाई करके इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मीडिया को धार्मिक/राजनीतिक या किसी अन्य प्रकार के समागम के दौरान – क्या करें और क्या न करें, इसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। प्रमुख हितधारकों द्वारा सुझाए गए – क्या करें और क्या न करें **संलग्नक 7** में दिए गए हैं।

मीडिया एक मजबूत भागीदार के रूप में मीडिया और सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसीज के बीच संपूर्ण सहयोग होना आवश्यक है। उनके बीच समन्वय और सहयोग की सीमा विभिन्न परिमाण की चुनौतियों को रोकने या उनका सामना करने के लिए तैयारियों की प्रकृति और पैमाने को निर्धारित करती है।

अधूरी/संदिग्ध सूचना पर रिपोर्टिंग से बचें खोजी पत्रकार को अधूरे, अर्द्धसत्य, संदिग्ध तथ्यों आदि जिनकी पूरी तरह से जांच नहीं की गई है और जिन्हें रिपोर्टर ने स्वयं प्रामाणिक स्रोतों से सत्यापित नहीं किया है, से त्वरित लाभ प्राप्त करने के प्रलोभन से बचना चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

लोगों की गिनती करने की प्रणाली होल्डिंग क्षेत्र और रिलीज पॉइंट पर लोगों की गिनती करने की प्रणाली संस्थापना क्रियान्वित की जानी चाहिए जो लोगों के प्रवाह का डिजिटल डिस्प्ले प्रदान करती है। यह प्रवाह को विनियमित करने के लिए काफी उपयोगी होगा। प्रवाह के आधार पर, भीड़ के प्रवाह को तेज या धीमा किया जा सकता है। इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षा बल की तैनाती के मामले में निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है।

पंजीकरण डेटाबेस सभी आगंतुकों का पंजीकरण करना वांछनीय है। आगंतुकों के जनसांख्यिकीय विवरण (लिंग, आयु और स्थान आदि) को संकलित करने के लिए एक डेटाबेस प्रणाली नियोजित की जानी चाहिए। यदि कोई डेटा पैटर्न हो तो उसका अध्ययन कर एक बेहतर व्यवस्था बनाने में मदद कर सकता है। आगंतुकों का अनिवार्य पंजीकरण कतार प्रबंधन हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

एकीकृत कंप्यूटर प्रणाली भीड़ के बेहतर एकीकृत प्रबंधन हेतु आयोजन स्थल पर नियोजित कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए।एकीकृत सूचना प्रणाली के अभाव में, यह पता लगाना संभव नहीं है कि आगंतुक किसी विशेष पंजीकरण पर्ची के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे हैं या नहीं, जो दुर्भाग्यपूर्ण आपदाओं या बीमा दावों के मामले में उपयोगी हो सकता है। यह आयोजकों को पंजीकरण काउंटर से

लेकर होल्डिंग क्षेत्र एक या दो से मुख्य आयोजन स्थल तक आगंतुकों द्वारा लिए गए औसत समय जैसे महत्वपूर्ण आँकड़े एकत्र करने में भी बाधा डालता है। भीड़ की आवाजाही को कुशल और प्रभावी तरीके से निगरानी करने और नियंत्रित करने के लिए ऐसी माप प्रणाली की आवश्यकता है।

ऑनलाइन पंजीकरण आगंतुकों के ऑनलाइन पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे न केवल सुचारू प्रवाह की सुविधा मिलती है बल्कि कार्यक्रम की अग्रिम योजना बनाने में भी सहायता मिलती है। इस पंजीकरण प्रक्रिया का उपयोग आगमन पैटर्न को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचान टैग का नियोजन कार्यक्रम प्रबंधकों को बार–कोडेड बैंड, आरएफआईडी टैग या बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये टैग आगंतुकों की बुनियादी जानकारी संचित रखेगी। जैसे–जैसे आगंतुक प्रणाली से गुजरते हैं, विभिन्न स्थानों पर तैनात स्कैनर का इस्तेमाल समय के साथ–साथ उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। इससे विभिन्न स्थानों पर आगंतुकों की सटीक संख्या को ट्रैक करने में भी मदद मिल सकती है और मार्ग के साथ – साथ यातायात प्रवाह पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। आरएफआईडी टैग आपदा/भगदड़ की स्थिति में ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए और जरूरत पड़ने पर बीमा दावों की पहचान करने के लिए भी उपयोगी होंगे।

भौगोलिक सूचना प्रणाली जहाँ भी संभव हो भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), कार्यक्रम की योजना बनाने, लेआउट, सड़कों के संरेखण, पार्किंग स्थलों, हेलीपैडों के संरचनात्मक मूल्यांकन, उपयोगिता लाइनों (पानी, बिजली, गैस) को बिछाने आदि के लिए तैनात की जानी चाहिए। इसका उपयोग खतरे के स्थान, स्थान प्रबंधन और निकासी मार्गों के निर्धारण के लिए भी किया जा सकता है। उपग्रह आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी और जीपीएस सक्षम जीआईएस आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

क्लोज्ड–सर्किट टेलीविजन कैमरा आयोजन की निगरानी और आपातकाल की शीघ्र पहचान करने के लिए क्लोज्ड–सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाए जाने चाहिए। ईओसी के भीतर एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। आयोजन स्थल पर प्रवेश/निकास द्वार, अड़चनें, संकरे रास्ते, पार्किंग स्थल आदि सहित महत्वपूर्ण खतरे वाले बिंदुओं का निरीक्षण करने के लिए बेहतर अनुक्रिया हेतु भीड़ की निगरानी में लोगों के बीच की जगह, खतरे वाले क्षेत्र में लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र में भीड़ का जमावड़ा, भीड़ के व्यवहार में बदलाव (जैसे धक्का देना, भागना) आदि सामान्य संकेतक हैं। अधिक उन्नत कैमरों में गति–पहचान और ईमेल अलर्ट जैसी विशेषताएं होती हैं जो भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। ईओसी को उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मियों से गठित किया जाना चाहिए। भीड़ के घनत्व और त्वरित गतिविधियों के विभिन्न मूल्यों के लिए ट्रिगर और कार्रवाई बिन्दु को स्पष्ट रूप से बताना भी आवश्यक है। ईओसी और सीसीटीवी कैमरों की जद में नियोजित सुरक्षा कर्मियों के बीच एक सीधी संचार लिंक हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए।

वायवीय दूर संवेदी प्रणाली यूएवी का उपयोग। भीड़ के व्यवहार की निगरानी करने के लिए लाइट ड्यूटी यूएवी/ड्रोन का उपयोग किया जाना चाहिए।

क्षमता निर्माण

विभिन्न आयामों की भीड़ को प्रबंधित करने में सभी हितधारकों की क्षमता के निर्माण हेतु, यह आवश्यक है कि अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इस संबंध में की जाने वाली गतिविधियों से संबंधी सुझाव इस प्रकार हैं :

(i) विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को भीड़ प्रबंधन विषय पर अध्ययन और शोध कार्य करने के लिए मुख्यधारा में लाना। इस प्रकार किए गए अध्ययनों का उपयोग राज्य पुलिस और प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन तकनीक में और सुधार के लिए किया जाना चाहिए।

(ii) भीड़ व्यवहार और मनोविज्ञान का अध्ययन।

(iii) विभिन्न प्रकार के भूभागों, हेतु स्वीकार्य भीड़ घनत्व, वेग आदि निर्धारित करने के लिए अनुसंधान करना।

(iv) भीड़ प्रबंधन और नियंत्रण में केस अध्ययन विकसित करें। केस पद्धति का उपयोग करके सहभागी शिक्षण, आम तौर पर, नियमित व्याख्यान–आधारित कक्षाओं की तुलना में अधिक उपयोगी होता है।

(v) सर्वोत्तम संव्यवहारों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों की शुरूआत करें। ज्ञान हस्तांतरण हेतु कार्यशालाएँ, सम्मेलन और प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित करें।

(vi) द्वितीयक कर्तव्यों के लिए स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस, एनवाईकेएस, एपीडीए मित्रों को प्रशिक्षित और नियोजित करना।

(vii) सिविल डिफेंस की सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए और सुरक्षा एवं प्रबंधन सेवाओं के साथ संश्लेषित किया जाना चाहिए।

(viii) कांस्टेबल, उपनिरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के लिए राज्य पुलिस के बुनियादी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार कर नई भीड़ प्रबंधन तकनीक सम्मिलित की जानी चाहिए।

संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक गतिविधियाँ प्रशासन/कार्यक्रम आयोजकों और अन्य हितधारकों को भीड़ प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण में क्षमता निर्माण में योगदान देने वाली विभिन्न संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता है।

मॉक ड्रिल – संभावित उत्प्रेरकों (ट्रिगर्स) के साथ घटना का मॉक ड्रिल और निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए तथा अनुक्रिया तंत्र का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार उसमें सुधार किया जाना चाहिए।

भीड़ का स्व–प्रबंधन तंत्र का विकास भीड़ प्रबंधन के समग्र क्षेत्र में ''भीड एक संपत्ति के रूप मे़'' की अवधारणा पर विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। भीड़ का सामर्थ्य, क्षमता और भीड़ प्रबंधन पर इसके प्रभाव का लाभ उठाया जाना चाहिए।

भीड़ नियंत्रण

(क) आईआरएस को भीड़ प्रबंधन तंत्र में संस्थागत बनाना।

(ख) एकल कमान स्थापित करना, कमान और नियंत्रण पर स्पष्टता लाना।

(ग) प्रत्येक आपातकालीन सहायता प्रकार्य को उनकी तैनाती/अनुक्रिया/ रिकवरी योजना तैयार करना, और अद्यतन करना और उसका पूर्वाभ्यास करना चाहिए।

(घ) सभी लाइन विभाग अपनी योजनाएं/एसओपी तैयार करेंगे तथा नियमित रूप से उन्हें अद्यतन करेंगे।

(ड़) पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को भीड़ प्रबंधन की दिशा में मानवीय दृष्टिकोण पर प्रशिक्षण।

भीड़ प्रबंधन का विधिक पहलू

भीड़ को नियंत्रित और प्रबंधित करने हेतु कई विधिक प्रावधान हैं। भीड़ प्रबंधन और कई एजेंसीज की भूमिका को कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में देखा और समझा जाना चाहिए। शहरों और कस्बों में पुलिस और मजिस्ट्रेट का कर्तव्य वैध सभा और विरोध प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है, जिसका प्रयोग नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में किया जाता है। यदि सभा / जुलूस पूर्व सूचना या स्वीकृत विवरणों, जैसे कि संख्या, मार्ग, समय आदि का उल्लंघन करता है, तो कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

इसका एक उदाहरण प्रमुख कानूनी प्रावधान **संलग्नक 8** में वर्णित हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न आयामों के धार्मिकं, सामाजिक और त्यौहारी समारोह, खेल आयोजनों आदि के कारण बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। इन सभी आयोजनों में लाखों लोग आते हैं, जो कभी थोड़े समय के लिए और कभी–कभी महीनों लंबे समय तक के लिए आते हैं। प्रत्येक आयोजन के लिए भीड़ का प्रकार, व्यवहार और संवेदनशीलता भी भिन्न होती है। इसलिए, भीड़ प्रबंधन में व्यवहार और मनोविज्ञान के संदर्भ में भौतिक विशिष्टताओं से परे भीड़ का आंकलन शामिल होगा। सुचारू मंचन, प्रवेश और निकास और विभिन्न गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए स्थान और योजना का मूल तत्व होना चाहिए। यह अतिमहत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बहुत सावधानीपूर्वक योजना बनाने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन करने की आवश्यकता होती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक शक्ति गुणक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। रिमोट सेंसिंग भीड़ के प्रवाह या विकसित हो रही भीड़ और हॉट स्पॉट की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके निर्णय लेने में काफी सुविधा प्रदान कर सकता है। महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और कमांड एवं नियंत्रण केंद्रों को उत्पन्न हो रही स्थिति की फीड देने और सुरक्षा बलों की तैनाती में बहुत उपयोगी होगी।

विभिन्न हितधारकों की परिनिश्चित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ आईआरएस कार्यप्रणाली बहुत कारगर हो सकती है। तथापि, इसे समग्र भीड़ नियंत्रण उपायों में सावधानीपूर्वक शामिल किया जाना चाहिए।

भीड़ प्रबंधन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1954 कुंभ मेला भगदड़ – यह स्वतंत्रता पश्चात् पहला कुंभ मेला था, जिसमें इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 40 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए थे। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अलग अलग रिपोर्ट में 350 से 800 लोगों की मौतें होने की बात कही गई है। इस घटना के प्रमुख कारण निम्नवत है :–

(क) भीड़ नियंत्रण उपायों की विफलता।

(ख) कार्यक्रम के दिन बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञों और अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की उपस्थिति जिसके कारण भीड़ नियंत्रण संसाधनों का उपयोग वीआईपी प्रबंधन की ओर किया जाने लगा।

(ग) प्रशासन ने इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि गंगा नदी ने अपना मार्ग बदल लिया है और तटबंध के करीब पहुंच गई है, जिससे अस्थायी कुंभ टाउनशिप के लिए उपलब्ध जगह कम हो गई है और लोगों की आवाजाही के लिए जगह सीमित हो गई है। इसके साथ ही भीड़ बढ़ने से बैरियर टूट गया और भगदड़ मच गई।

1994 गोवारी भगदड़, नागपुर – गोवारी एक भारतीय पशुपालक जाति है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहती है। काफी समय से, यह समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा था। यह घटना नागपुर में तब हुई जब लगभग 50000 गोवारी प्रदर्शनकारी अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए विधान भवन पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ को विधान भवन तक पहुँचने से रोकने के लिए, पुलिस बल तैनात किया गया और लाठीचार्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई जिसमें 114 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग घायल हो गए। घटना के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :–

(क) राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे गोवारी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता में भागीदारी का अभाव, जिससे प्रदर्शनकारी भीड़ का आक्रोश भड़क गया।

(ख) पुलिस ने पानी की बौछार या रबर की गोलियों का उपयोग भीड़ को काबू में करने के बजाय भीड़ पर लाठीचार्ज किया।

(ग) अधिकांश मौतें भीड़ के भगदड़ के कारण दम घुटने से हुईं, न कि लाठी से लगी चोटों के कारण।

1997 उपहार सिनेमा त्रासदी – दिल्ली के उपहार सिनेमा में मैटिनी शो के दौरान भू–तल की पार्किंग में लगे ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई जिससे बालकनी का पूरा इलाका और बालकनी की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ धुएँ से भर गईं और लोगों का बाहर निकलना असंभव हो गया। परिणामस्वरूप, महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों की जान चली गई और 103 लोग घायल हो गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में निम्नलिखित कमियाँ पाईं।

(क) ट्रांसफार्मर के रखरखाव और मरम्मत में दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा लापरवाही।

(ख) सिनेमा मालिकों द्वारा उनके व्यावसायिक लाभ के लिए नगरपालिका के उपनियमों का उल्लंघन करते हुए संरचना में अनाधिकृत परिवर्तन करना।

(ग) एक निकास मार्ग को बंद कर दिया गया, जिसके कारण लोगों के त्वरित एवं अलग–अलग निकास में बाधा उत्पन्न हुई।

(घ) स्थायी फ्लोर पर अवैध, अनाधिकृत और अव्यवस्थित पार्किंग, जिससे आपातकालीन स्थिति में निकास मार्ग अवरुद्ध हो गया।

(ड़) लाइसेंसिंग प्राधिकारी अनधिकृत परिवर्तनों का संज्ञान लेने में विफल रहे तथा नियमों के विरुद्ध अस्थायी परमिट जारी करते रहे।

1999 सबरीमाला भगदड़ – यह मानव भीड़ की टक्कर थी जोकि 1999 में केरल के सबरीमाला मंदिर में घटित हुई थी। 14 जनवरी 1999 को, 53 लोग, जिनमें से अधिकांश केरल के बाहर के थे, पंबा बेस कैंप में भीड़ से कुचलने में मारे गए, जो अन्य कारणों के अलावा, एक पहाड़ी के किनारों के ढहने से हुई थी। इस घटना के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं : –

(क) न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को 'देश के विभिन्न भागों से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही' का दोषी पाया।

(ख) यह ज्ञात था कि केरल राज्य के बाहर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, प्रशासन इन मार्गों पर विचार करने तथा पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा।

(ग) पहाड़ी की चोटी पर क्षमता से अधिक भीड का एकत्र होना।

(घ) पहाड़ी की चोटी पर अनियंत्रित भीड होना।

वर्ष 2005 मंढेर देवी मंदिर में भगदड़ – यह घटना महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंढेर देवी मंदिर में हुई, जिसके परिणामस्वरूप 291 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 250–300 तीर्थयात्री घायल हो गए। यह भगदड़ उस समय हुई जब 300,000 लोग पूर्णिमा के दिन वार्षिक तीर्थयात्रा करने और 24 घंटे तक चलने वाले उत्सव में भाग लेने के लिए मंढेर देवी मंदिर में एकत्रित हुए थे, जिसमें देवी को पशु बलि चढ़ाने की रस्म भी शामिल थी। गैस सिलेंडर विस्फोट होने के बाद आग लगने से भगदड़ मच गई। इस घटना के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :–

(क) भीड़ में शामिल लोगों की संख्या का गलत आंकलन किया जाना।

(ख) मंदिर का स्थान भीड़ की तुलना में छोटा था।

(ग) मंदिर की खड़ी सीढ़ियाँ श्रद्धालुओं द्वारा नारियल फोड़ने के कारण फिसलन भरी और गीली हो गईं थी जिसके कारण तीर्थयात्री फिसलकर गिर गए और कुचले गए।

(घ) मंदिर तक जाने वाला पहाड़ी रास्ता संकरा था जिस पर बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल था।

(ड़) रास्ते के किनारे की दुकान में सिलेंडर में विस्फोट होना और फिर आग लग जाना।

(च) विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय का अभाव।

(छ) अपर्याप्त सुरक्षा, जल एवं चिकित्सा व्यवस्था।

2005 चेन्नई भगदड़ – यह घटना 18 दिसंबर 2005 को चेन्नई के एमजीआर नगर स्थित एक स्कूल में घटित हुई थी, जहाँ भीषण बाढ़ के बाद राहत सामग्री वितरित की जा रही थी। इस बाढ़ में 42 लोगों की जान चली गई थी और 37 अन्य घायल हो गए थे। इस घटना के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं : –

(क) कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश हुई।

(ख) यह अफवाह कि राहत सामग्री केवल पहले हजार लोगों को ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित की जाएगी, जिसके कारण उनमें पहले पहुंचने की होड़ मच गई।

(ग) प्रवेश द्वार पर कंक्रीट की ढलान जिस पर लोग फिसल कर गिरते जाते थे और पीछे आ रहे लोग उन्हें कुचलते चले गए, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई।

(घ) अपेक्षित भीड़ की तुलना पुलिसकर्मियों की उपस्थिति मौके पर कम थी।

(ड़) विरोधी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अफवाह फैलाई जिससे दहशत का माहौल बन गया।

2008 नैना देवी मंदिर भगदड़ – यह घटना 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में घटित हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप 146 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हो गए, उस समय घबराई भीड़ के कारण काफी लोगो को रौंद दिया गया या खड्ड के किनारे धकेल दिया गया। इस घटना के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : –

(क) वर्ष 1978 में हुई ऐसी ही घटना से कोई सबक नहीं सीखा गया और भीड़ प्रबंधन में कोई सुधार नहीं किया गया, जिसमें 65 लोग मारे गए थे।

(ख) भूस्खलन के कारण वर्षा आश्रय स्थल का ढह जाना, जिसे श्रद्धालुओं ने भूस्खलन समझ कर उस क्षेत्र से दूर जाने का प्रयास किया, जिससे अवरोधक टूट गया। इससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।

(ग) स्थल तक पहुंचने वाली सड़कों का खराब रखरखाव होने के कारण निर्माण राहत कार्य, स्वास्थ्य और चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवागमन बाधित हुआ।

2008 जोधपुर मंदिर भगदड़ – 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 224 लोगों की मौत हो गई और 425 लोग घायल हो गए। नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में करीब 25,000 तीर्थयात्री आए थे। इस घटना के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित थे : –

(क) मंदिर में बम रखे होने की अफवाह से तीर्थयात्रियों के बीच दहशत फैल गई।

(ख) पास की दीवार गिरने से भी दहशत फैल गई होगी।

(ग) मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में ढलान होने के कारण लोग फिसल जाते थे और पीछे चल रही भीड़ उनको कुचलती चली गई।

2010 प्रतापगढ़ भगदड़ – यह घटना 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में कृपालु महाराज आश्रम के राम जानकी मंदिर में घटित हुई थी। इस घटना में 63 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कृपालु महाराज की पत्नी की मृत्यु की पहली वर्षगांठ पर 10,000 से अधिक लोग मुफ्त में कपड़े और भोजन जैसी वस्तुऐं प्राप्त करने के लिए मंदिर में एकत्र हुए थे। इस घटना के पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं : –

(क) प्रवेश द्वार पर निर्माणाधीन फाटक गिर गया और संभवतः इससे दहशत और भगदड़ मच गई।

(ख) भीड़ में बिजली का झटका लगने की अफवाह के कारण भगदड़ मच गई।

(ग) भीड़ प्रबंधन अधिनियम और भीड नियंत्रण उपायों का अभाव़ होना ।

2011 सबरीमाला भगदड़ – यह घटना एक वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान घटित हुई, जिसमें 106 तीर्थयात्री मारे गए और लगभग 100 अन्य तीर्थयात्री घायल हो गए। तीर्थयात्री एक वार्षिक उत्सव के अंतिम दिन एक हिंदू तीर्थस्थल से लौट रहे थे, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस घटना के पीछे के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

(क) घटना का कारण संभवतः एक टूटी हुई एसयूवी थी जिसे जब धक्का दिया गया वह पलट गई जिससे लोग कुचल गए और बाकी लोग घबरा गए।

(ख) उपर्युक्त कारणों से तीर्थयात्रियों को सड़क तक पहुंचने के लिए पहाड़ी से नीचे भागना पड़ा, जहॉ पहले से ही भीड़–भाड़ थी।

2013 प्रयागराज फुटब्रिज का ढहना – वर्ष 2013 आयोजन को महाकुंभ मेला माना गया, जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आता है। यह 55 दिनों तक चला और इसमें 100 मिलियन तीर्थयात्रियों के शामिल होने की उम्मीद थी, जिससे यह उस समय दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा अस्थायी जमावड़ा बन गया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुटब्रिज की रेलिंग गिरने के बाद भगदड़ मच गई। लोगों के दबने से 42 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 45 लोग घायल हो गए। इस घटना के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं : –

(क) ओवरब्रिज पर तीर्थयात्रियों की अनियमित आवाजाही, जिसकी सीमित क्षमता थी।

(ख) प्रशासन कुंभ मेला के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन केंद्र पर विचार करने में और आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा।

2024 हाथरस भगदड़ – 02 जुलाई 2024 को हाथरस के पास फुलराई मुगल गढ़ी गांव में सत्संग (प्रार्थना सभा) के लिए लगभग 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु एकत्र हुए थे। सत्संग (प्रार्थना सभा) के अंत में भगदड़ मच गई, जिसके कारण 121 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल भी हुए जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

भगदड़ की घटनाएं मुख्य रूप से भीड़ प्रबंधन संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन न करने के कारण होती हैं, जैसे : –

(क) अनियमित प्रवेश के कारण कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़ हो जाना।

(ख) कार्यक्रम स्थल, प्रवेश द्वार, निकास, मार्ग आदि सहित स्थल पर कम जगह और खराब भीड़ प्रबंधन व्यवस्था।

(ग) स्वयंसेवी समूहों में भीड़ प्रबंधन प्रशिक्षण और नियंत्रण का अभाव।

भीड़ प्रबंधन योजना के लिए सुझायी गयी रूपरेखा

(योजनाएं विशिष्ट रूप से आयोजन के प्रकार के अनुसार बनाई जाएंगी, उदाहरण के लिए सिनेमा हॉल या शॉपिंग मॉल की योजनाएं राजनीतिक रैली और धार्मिक कार्यक्रमों से काफी भिन्न होंगी)

प्रस्तावना

जिले की जनसंख्या, भूगोल, जनसांख्यिकी और धार्मिक/सांस्कृतिक मान्यताओं का संक्षिप्त परिचय।

भीड़ एकत्रीकरण परिदृश्य

भीड़ के उद्देश्य, शक्ति, व्यवहार, लिंग, बच्चों, बुजुर्गों के संबंध में भीड़ की गतिकी के साथ भीड़ के एकत्र होने के हॉट स्पॉट की जांच करें। जगह की उपलब्धता और प्रबंधन की भी जांच की जानी चाहिए। आयोजन जैसे कि थिएटर, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, होली, दिवाली, रमजान आदि त्यौहार, धार्मिक सभा, जैसे कुंभ मेला, छठ पूजा, गंगा स्नान या राजनैतिक रैलियां के संबंध में इनकी जांच करें।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

अतीत की घटनाओं की सूची उनसे प्राप्त सीख के साथ बनाइये।

संवेदनशीलता मूल्यांकन

योजना के इस हिस्से को विस्तार से बनाया जाना चाहिए। विभिन्न उत्प्रेरक परिदृश्यों की सूची बनाएं, उदाहरण के लिए होर्डिंग के गिरने की संभावना हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ मच सकती है। इसी तरह, जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण सिनेमा हॉल में आग लग सकती है, जिससे यह तय होगा कि किस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है और उनके लिए कौन जिम्मेदार है।

भीड़ नियंत्रण उपाय

भीड़ के विश्लेषण के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों और सुविधाओं की योजना बनाएं, जैसे कि स्टेजिंग क्षेत्र, होल्डिंग क्षेत्र, रिलीज प्वाइंट, प्राथमिक चिकित्सा/चिकित्सा सहायता चौकी आदि।

उपर्युक्त योजना को आयोजन में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर बनाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, यदि प्रति मिनट तीस भक्त दर्शन कर सकते हैं, तो सुविधाओं की पूरी क्षमता को पीछे की ओर ले जाना होगा और प्रवाह को उसी के अनुसार बनाना होगा। **संलग्नक 3** में संलग्न प्रवाह आरेख को व्यापक दिशा–निर्देश माना जा सकता है।

सूचना प्रसार प्रबंधन

सभी हितधारकों के लिए सूचना प्रसार प्रबंधन और किस माध्यम से, सभी नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके।

घटना अनुक्रिया प्रणाली

सभी आईआरएस सुविधाओं और कार्यप्रणाली को भीड़ नियंत्रण उपायों और समनुदेशित जिम्मेदारियों पर अधिरोहित किया जाना चाहिए। आवश्यक संशोधन करके आईआरएस की अंतर्निहित लचीलेपन का उपयोग किया जाना चाहिए।

हवाई निकासी सहित आपातकालीन निकासी योजना को भी आईआरएस अनुक्रिया तंत्र में शामिल किया जाना चाहिए।

भूमिकाएं और जिम्मेदारी

सभी हितधारकों की पहचान की जानी चाहिए और उनकों जिम्मेदारियाँ सौंपी जानी चाहिए। इसके अलावा, स्टेजिंग एरिया जैसे सुविधाओं के प्रभारी को नामित किया जाना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपी जानी चाहिए। नवीन रूप से नामित किया जाए तथा उनके कर्तव्य निर्धारित किए जाएं।

कमान श्रृंखला

कमान श्रृंखला संबंधी स्पष्टता सुनिश्चित करें तथा योजनाओं में इसे सुपरिभाषित करें।

संरक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था

योजना में विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसे खुफिया व्यवस्था, सीसीटीवी, निगरानी टावर, अग्नि सुरक्षा आदि का विस्तार से उल्लेख होना चाहिए।

क्षमता निर्माण

जिला क्षमता निर्माण योजनाओं में भीड़ प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के विभिन्न तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए।

जिला स्तरीय योजनाओं में क्षमता निर्माण के विभिन्न संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से भीड़ का व्यवहारिक पहलू, क्षमता निर्माण का एक अनिवार्य हिस्सा होगा।

किसी भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए, जिले नियमित रूप से या किसी भी कुशल भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता वाले किसी आयोजन से पहले यूपी एसडीएमए से संपर्क कर सकते हैं।

प्रकीर्ण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग – रिमोट सेंसिंग, जीआईएस अनुप्रयोग, लोगों की गिनती करने वाली मशीन, उपग्रह संचार, आरएफआईडी टैग आदि।

मीडिया प्रबंधन।

विधिक क्षेत्र।

संलग्नक 3

श्रद्धालुओं के लिए सुझाया गया प्रवाह आरेख

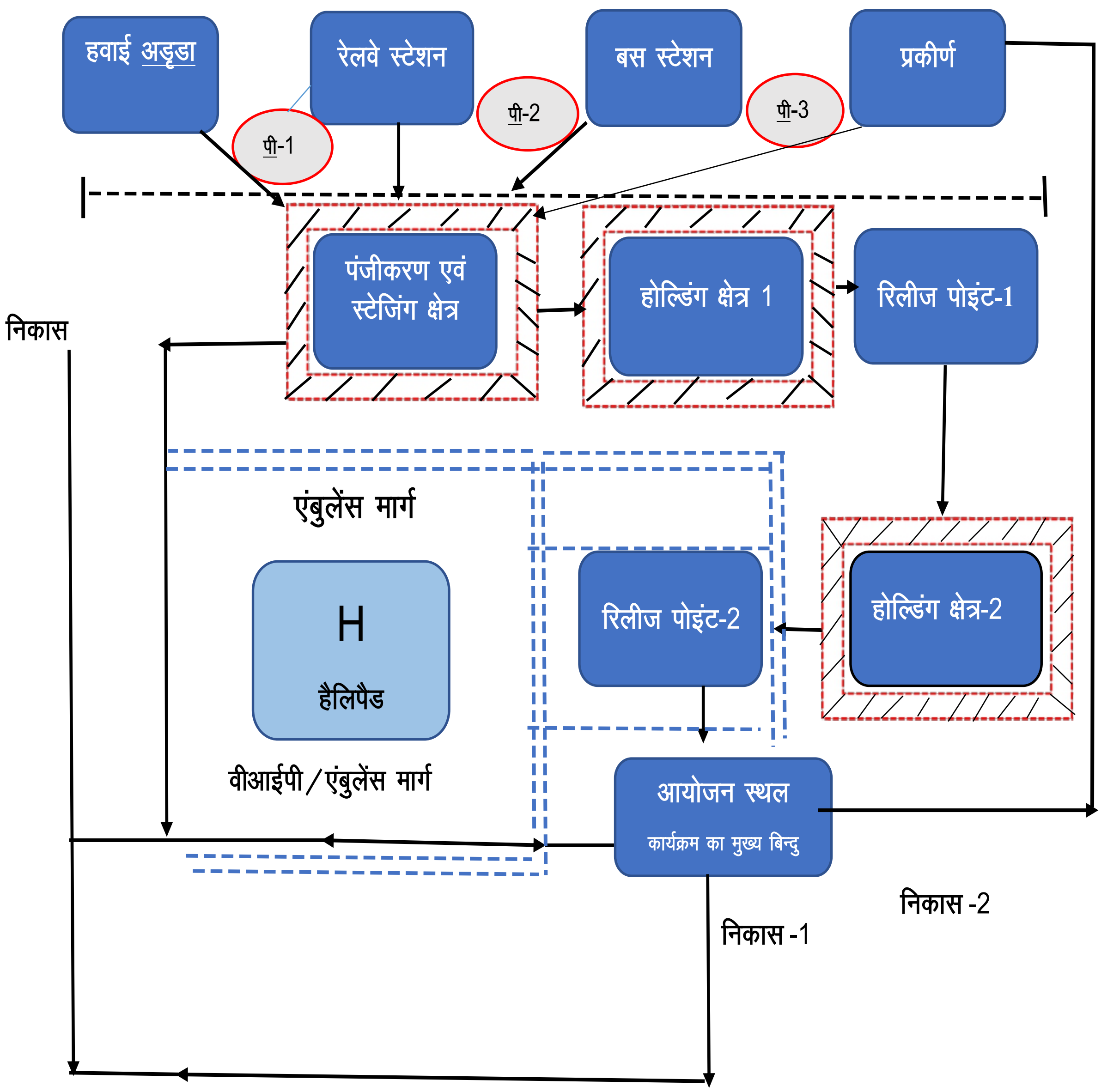

- 30 दर्शनार्थी प्रति मिनट (लगभग), इसके आधार पर होल्डिंग क्षेत्र की होल्डिंग क्षमता और विभिन्न सुविधाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
- श्रद्धालुओं को नियमित दर्शन अंतराल के अनुसार छोड़ा जाए।

H - Helipad
P - Parking
/// विस्तार क्षेत्र
--- एंबुलेंस ट्रैक
|--- | वाहन इस बिन्दु से आगे नहीं जाएगा

(NOT TO SCALE)

महत्वपूर्ण हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

(भीड़ प्रबंधन से संबंधित)

आगंतुक

1. आगंतुकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आयोजन स्थल/कार्यक्रम, समय, मार्ग, सुविधाओं और आपातकालीन प्रक्रियाओं से परिचित हो जाएं।
2. हमेशा शांत, सतर्क और चौकस रहें।
3. जरूरतमंद सह–आगंतुकों की सहायता और मदद करें।
4. आयोजकों के साथ सहयोग करें और आयोजन स्थल पर लागू कानून व्यवस्था और स्थानीय नियमों का पालन करें।
5. झगड़े, धक्का–मुक्की, भीड़ को उकसाने वाले उपद्रवी सुरक्षा संबंधी जोखिम बढा़ सकते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों पर दबाव डालें।
6. जब कोई बाधा हो तो रुकें और पीछे खड़ी भीड़ से कहें कि जब तक बाधा न हट जाए तब तक रुकें। बाधा हट जाने के उपरान्त जल्दबाजी न करें और सामान्य रूप से आगे बढ़ें।
7. यदि कोई व्यक्ति फिसलकर गिर जाए, तो उसके पीछे या आगे वाले व्यक्ति को तब तक रुके रहना चाहिए जब तक कि गिरे हुए व्यक्ति को उठा न लिया जाए या सुरक्षित स्थान पर न पहुंचा दिया जाए।
8. तैनात कर्मचारियों को वर्तमान स्थिति की सूचना दें।
9. कार्यक्रम में सुविधाओं और व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार हेतु स्थल/कार्यक्रम प्रबंधकों पर दबाव डालना एवं आवश्यक फीडबैक देना।
10. जब भी आवश्यक हो, आयोजकों की सहायता के लिए स्वयं आगे आएं।

कार्यक्रम आयोजक/स्थल प्रबंधक

1. आगंतुकों को स्थल/कार्यक्रम पर सुरक्षित, परेशानी मुक्त और यादगार अनुभव प्रदान करने के दायित्व को स्वीकार करना।
2. बुजुर्गों, छोटे बच्चों वाली महिलाओं, विशेष रूप से विकलांग या बीमार व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी मानदंड के आधार पर किसी को भी वरीयता न दें।
3. सुधार के लिए हमेशा फीडबैक लें। भीड़ प्रबंधन के लिए हमेशा बेहतर विचार हो सकते हैं।
4. विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करके भीड़ प्रबंधन योजना को विकसित करना, क्रियान्वित करना, समीक्षा करना और संशोधित करना।
5. केन्द्रीय, राज्य, स्थानीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना।
6. स्थानीय प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग आदि से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।
7. संबंधित हितधारकों के साथ कार्यक्रम की समय–सारणी, स्थल, परिवहन, चिकित्सा, भोजन, स्वच्छता और आपातकालीन सुविधाओं आदि का विवरण साझा करना।

पुलिस

1. स्थानीय प्रशासन, कार्यक्रम/स्थल प्रबंधकों और स्थानीय समुदाय के आवश्यक सहयोग से कार्यक्रमों/स्थलों और आस–पास के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
2. हमेशा याद रखें कि पुलिस बल कार्यक्रम के लिए सुविधाकर्ता है और उसी के अनुसार कार्य करें। आगंतुकों के साथ मित्रवत व्यवहार करें।
3. स्थल मूल्यांकन और तैयारियों की जांच में सक्रिय रूप से भाग लेना।
4. भीड़ और यातायात की गतिविधियों को प्रतिबंधित, निर्देशित और विनियमित करना।
5. महत्वपूर्ण जोखिम बिंदुओं पर कड़ी और नियमित निगरानी रखकर अपराधों और सार्वजनिक उपद्रवों को रोकना
6. केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही 'न्यूनतम बल' का प्रयोग किया जाना चाहिए, यही आदर्श वाक्य होना चाहिए।
7. किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में त्वरित एवं मानवीय प्रतिक्रिया प्रदान करना, ताकि हताहतों की संख्या में वृद्धि को रोका जा सके तथा जीवन को बचाया जा सके।

आपदा मित्र/नागरिक सुरक्षा/एनजीओ/स्वयंसेवी संगठन

1. आयोजकों और सरकारी एजेंसियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखें और उन क्षेत्रों पर बात करें जिन क्षेत्रों में भीड़ प्रबंधन में योगदान दिया जा सकता है।
2. कार्यक्रम/स्थल प्रबंधकों, पुलिस और प्रशासन को स्थानीय मुद्दों से अवगत कराना।
3. भीड़ की आवश्यकता का आंकलन करना तथा आयोजकों/सरकारी प्रयासों में सहयोग करना।
4. विभिन्न केन्द्रित समूह/समितियों का गठन करना जैसे यातायात नियंत्रण, लोगों का आवागमन नियंत्रण, सूचना, चिकित्सा सहायता, भोजन, पानी और स्वच्छता, मॉक ड्रिल आदि।
5. गुमशुदा लोगों का पता लगाने में सहायता करना।
6. आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना।
7. किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में स्थानीय संसाधन (भोजन, आश्रय, कपड़े, वाहन) एकत्रित करना।
8. राहत वितरण में सहायता करना।

डीडीएमए

1. भीड़ प्रबंधन संबंधी कार्य योजना तैयार करें और उसे अपने पास रखें।
2. आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए/एसडीएमए की नीतियों, योजनाओं और दिशा–निर्देशों का पालन और कार्यान्वयन करना।
3. डीईओसी को सक्रिय करना और सुनिश्चित करना कि यह पूरी तरह से क्रियाशील है।
4. सभी आईआरएस तत्व/सुविधाएं स्थापित हैं, उनमें कर्मचारी हैं और वे किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए पूरी तरह कार्यात्मक हैं।
5. सुनिश्चित करना कि संचार नेटवर्क स्थापित हो और वैकल्पिक संचार साधनों सहित उनकी कार्यक्षमता का परीक्षण करना।
6. सुविधा और कानून प्रवर्तन के माध्यम से आगंतुकों को सुरक्षित, परेशानी मुक्त और यादगार अनुभव प्रदान करने में कार्यक्रम/स्थल आयोजकों की सहायता करना।

7. सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों के बीच सामूहिक समारोह वाले स्थानों पर खतरों, संवेदनशीलताओं और संभावित निवारक कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

8. सुविधा, प्रशिक्षण, प्रमाणन, प्रशंसा आदि के माध्यम से विभिन्न भीड़ प्रबंधन कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित संसाधन टीमों की क्षमता का निर्माण।

9. विभिन्न हितधारकों, विशेषकर सरकारी विभागों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करना और उसे क्रियान्वित करना।

10. यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों का प्रबंधन आयोजकों/प्रशासकों द्वारा तैयार अनुमोदित योजनाओं के माध्यम से किया जाए।

11. पूजा स्थलों का प्रबंधन करने वाले न्यासियों/प्रशासकों के साथ नियमित अभ्यास और अभ्यास का आयोजन करना।

12. कमियों की पहचान करने के लिए समय–समय पर ऐसे स्थानों की नियमित "तैयारी और न्यूनीकरण" किए जाने हेतु दायित्वों को निर्धारित करना चाहिए।

एसडीएमए

1. सामूहिक समारोहों के स्थानों पर भीड़ की आपदाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के विभागों/डीडीएमए द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा–निर्देश निर्धारित करना।

2. यह सुनिश्चित करना कि सामूहिक समारोहों के दौरान राज्य/जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र सक्रिय और चालू रहें।

3. एसईओसी को डीईओसी की किसी भी उभरती आवश्यकता के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहना चाहिए, जिसमें बलों का वाह्य सुदृढ़ीकरण और किसी भी प्रकार की संभरणीय और प्रशासनिक आवश्यकता भी शामिल है।

4. सुनिश्चित करना कि एसईओसी एनआरएससी के साथ मिलकर मेला क्षेत्र की वास्तविक समय पर छवियां प्रदान करने में सक्षम हो।

5. सुनिश्चित करना कि एसईओसी उच्चतर और अधीनस्थ विभाग के साथ संचार में बना रहे।

6. सुनिश्चित करना कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार आईआरएस तत्व/सुविधाएं मौजूद हों और कर्मचारी पूरी तरह कार्यात्मक हों।

7. राज्य के बाहर से सेना या रसद प्राप्त करने और भेजने के लिए तंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

8. मानव निर्मित भीड़ आपदाओं से बचने के लिए राष्ट्रीय पहल के एक भाग के रूप में विशेष कार्यक्रमों और परियोजनाओं की संकल्पना और निर्माण करना।

9. क्षमता निर्माण के लिए जिला प्राधिकारियों को आवश्यक संसाधन सहायता उपलब्ध कराना।

भीड़ प्रबंधन के लिए आईआरएस सुविधाएं

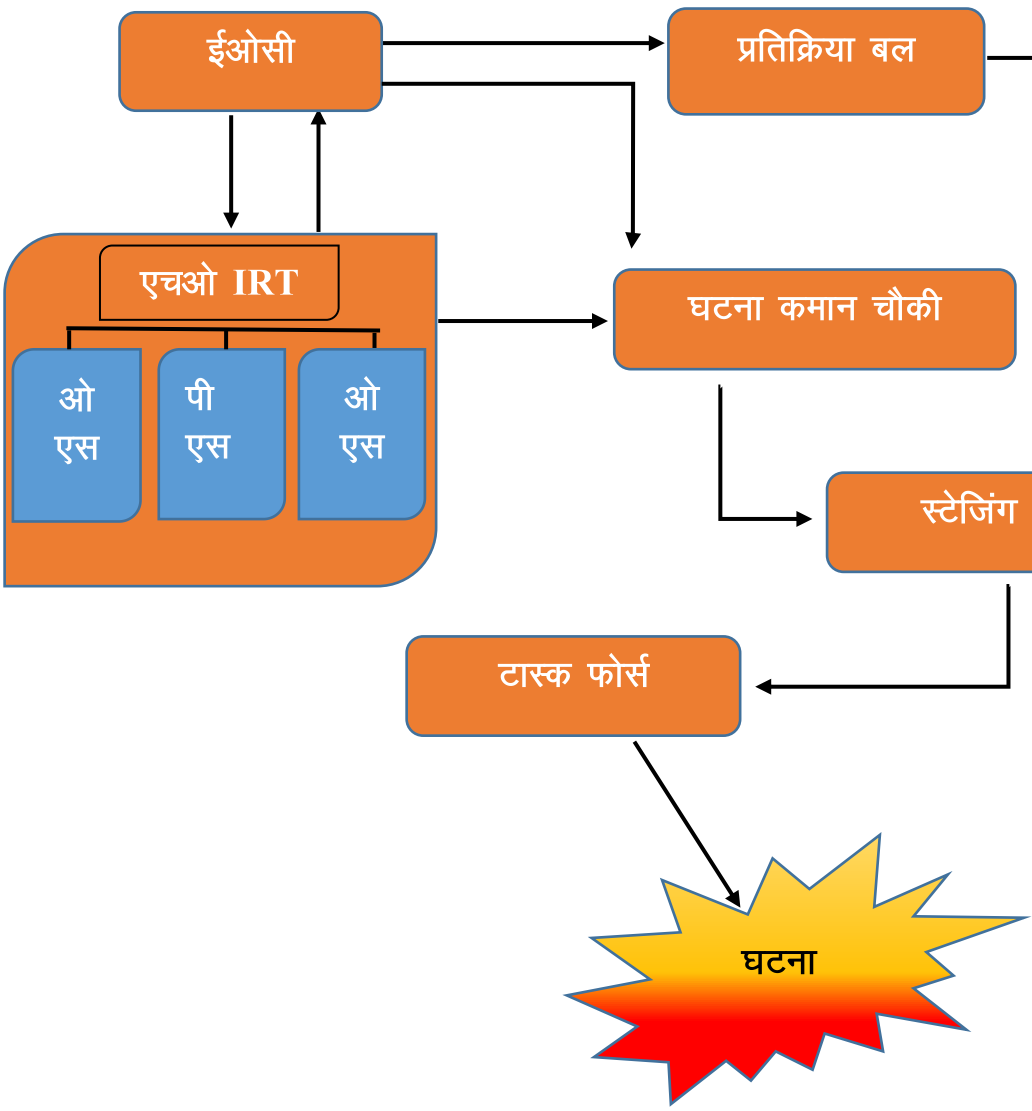

(NOT TO SCALE)

संलग्नक 6

भीड़ प्रबंधन पर अध्यारोपित आईआरएस

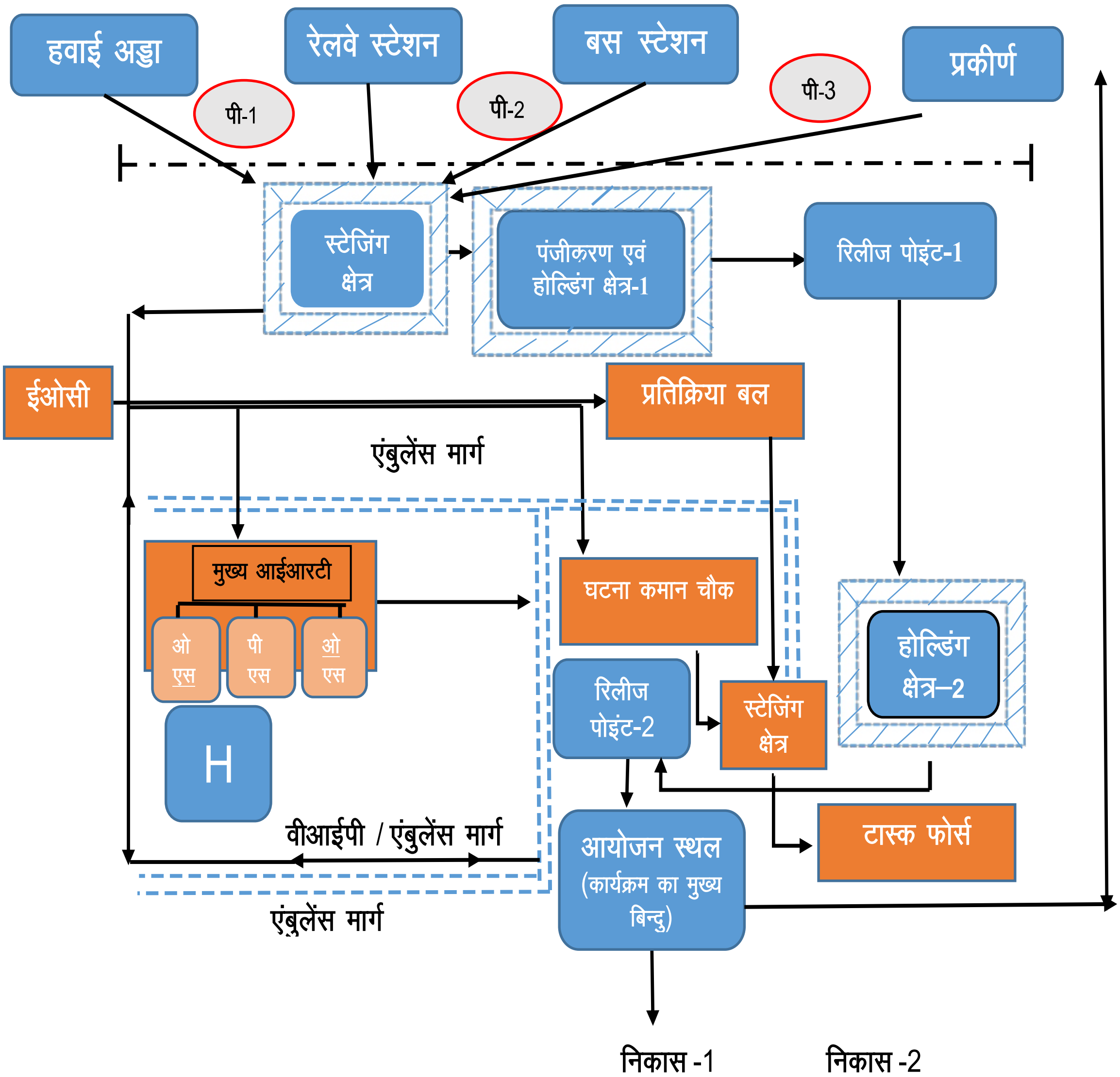

- 30 दर्शनार्थी प्रति मिनट (लगभग), इसके आधार पर होल्डिंग क्षेत्र की होल्डिंग क्षमता और विभिन्न सुविधाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
- श्रद्धालुओं को नियमित दर्शन अंतराल के अनुसार छोड़ा जाए।

H - Helipad
P - Parking
/// विस्तार क्षेत्र
- - - एंबुलेंस ट्रैक
|---| वाहन इस बिन्दु से आगे नहीं जाएगा

(NOT TO SCALE)

विभिन्न हितधारकों के लिए – क्या करें और क्या न करें

आगंतुक

क्या करें	क्या न करें
1. हल्के सामान के साथ यात्रा करें। यदि डॉक्टर ने सलाह दी हो तो दवाइयां साथ रखें।	1. कीमती सामान, अनावश्यक भोजन और कपड़े न ले जाएं।
2. इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराएं।	2. अजनबियों पर भरोसा न करें। अनधिकृत स्थानों पर न रहें/न खाएं।
3. आयोजन स्थल के स्थान और लेआउट से परिचित हो जाएं एवं प्रवेश/निकास बिंदु, मार्ग, ठहरने/भोजन/चिकित्सा सुविधाएं।	3. सड़कों पर, प्रवेश/निकास बिंदुओं पर आराम न करें/नींद न लें। कूड़ा न फैलाएं।
4. नियमों और दिशा–निर्देशों का पालन करें। जहाँ आगे अवरोध हो, वहाँ आगे न बढ़ें और न ही पीछे हटें। अवरोध हटने तक पीछे खड़े लोगों को पकड़ें और उन्हें रोकने के लिए सचेत करें।	4. साथियों को धक्का देकर, लड़कर, उकसाकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डालें।
5. आपातकालीन संपर्क नंबर नोट करें।	5. घबराएं नहीं और अफवाहें न फैलाएं।

<u>आयोजक</u>

क्या करें	क्या न करें
1. अपने आगंतुकों को जानें।	1. पूर्व की घटना–रहित आयोजन की सफलता के कारण संतुष्ट होकर शान्त न बैठें।
2. आगंतुकों को सुरक्षित, परेशानी मुक्त, और यादगार अनुभव प्रदान करने की जिम्मेदारी लें और दायित्व स्वीकार करें।	2. यदि आप स्वयं ही स्थल व्यवस्था के बारे में आश्वस्त नहीं हैं तो कार्यक्रम का आयोजन रोक दें।
3. व्यापक भीड़ प्रबंधन योजना बनाए– (क) परिसंकट और उनके संभावित प्रभाव की पहचान करें। (ख) निर्णय लें कि व्यवस्था पर्याप्त है या कुछ और करने की जरूरत है।	3. होल्डिंग क्षेत्र और आवागमन मार्ग की क्षमताओं से अधिक आगंतुकों को प्रवेश न दें।

क्या करें	क्या न करें
4. विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करें। नियमित संचार बनाए रखें और बैठकें करें।	4. धन की बचत हेतु सुरक्षा एजेंसियों से समझौता न करें।
5. लागू विधियों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन करें।	5. किसी आपात स्थिति के संकेत मिलने पर रिपोर्ट करने में विलंब न करें।

सुरक्षा एजेंसी

क्या करें	क्या न करें
1. सभा के उद्देश्य का पता लगाने के लिए आयोजन स्थल का मूल्यांकन करें।	1. यदि भीड़ प्रबंधन तैयारी में अग्नि निवारण, संरचनात्मक सुरक्षा, वैद्युत, स्वच्छता, चिकित्सा, यातायात इत्यादि के क्षेत्र में कोई कमी है तो आयोजन करने की अनुमति न दें।
2. कार्यक्रम स्थल/कार्यक्रम प्रबंधक को भीड़ प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद करें।	2. कार्यक्रम स्थल के आसपास आर्थिक गतिविधियों और विस्थापन के संभावित प्रभाव को नजरअंदाज न करें।
3. हितधारकों के साथ नियमित आंतरिक /वाह्य संचार बनाए रखें।	3. औचक निरीक्षणों और मॉक ड्रिल के महत्व को न भूलें।
4. विभिन्न भीड़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए एनजीओ और नागरिक रक्षा की अनन्य संसाधन टीम विकसित करें।	4. न भूलें कि सामूहिक सभाओं के स्थानों में मानव गतिविधि संसाधन उपयोग और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, जो कि सामान्य संसाधन भक्षण और अपशिष्ट पैदा करने वाले स्थानों के विपरीत है।
5. भीड़ जोखिम जागरूकता अभियान चलाएं।	5. बचाव और राहत में किसी के प्रति भेदभाव न करें।

मीडिया

क्या करें	क्या न करें
1. यदि भीड़ प्रबंधन तैयारी में कमी दिख रही हो तो आवाज उठाएं।	1. पीड़ितों और उनके परिवारों की निजता का उल्लंघन न करें।

क्या करें	क्या न करें
2. कार्यक्रम स्थल/आयोजन स्थल पर भीड़ की निर्बाध आवाजाही के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करें।	2. व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधूरी सूचना के आधार पर घटनाओं को सनसनीखेज न बनाएं।
3. क्या करें और क्या न करें तथा संभावित उपशमन योजनाओं और उनके संभावित लाभ के बारे में पहले से व्यापक प्रचार करें।	3. भावनात्मक रूप से काम न करें, न उत्तेजित हों और न ही उत्तेजित करें।
4. त्रासदी से पहले/के दौरान/के पश्चात समयबद्ध, वास्तविक और निष्पक्ष सूचना प्रदान करें।	4. मूल्य निर्णय न लें।
5. सरकारी मशीनरी द्वारा चलाए जा रहे बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य की समीक्षा करें।	5. बचाव कार्यों में हस्तक्षेप न करें और उसमें बाधा न डालें।

उदहारण प्रमुख विधिक प्रावधान

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम में कई प्रावधान हैं जो भीड़ प्रबंधन के लिए प्रभावी हैं।

1. धारा 24 और 34 में संवेदनशील और प्रभावित क्षेत्रों को या वहाॅ से या उसके भीतर वाहन और मानव यातायात को नियंत्रित और निर्बन्धित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
2. धारा 33 जिला प्राधिकरण को, यदि आवश्यक हो, आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए जिला या स्थानीय स्तर पर किसी भी अधिकारी या किसी विभाग की सहायता लेने की अनुमति देती है।
3. धारा 41 में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय प्राधिकरण का यह कार्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी निर्माण परियोजनाएं विद्यमान मानकों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों।
4. धारा 51, 52, 53 के अनुसार कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, आपदा के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त करने के लिए झूठे दावे करना तथा आपदाओं के बारे में झूठी चेतावनी देना दंडनीय अपराध है।
5. धारा 58 के अनुसार आपदा के समय कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार कंपनी/व्यक्ति को उल्लंघन का दोषी माना जाएगा।
6. धारा 65 बचाव कार्यों के लिए संसाधनों, प्रावधानों, वाहनों आदि की मांग करने की शक्ति देती है।

पुलिस अधिनियम 1861

इस अधिनियम में भीड़ प्रबंधन से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं :

1. धारा 15 अशांत या खतरनाक जिलों में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की अनुमति देती है।
2. धारा 17 में उपद्रव की अवधि के दौरान पड़ोस के निवासियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।
3. धारा 30, 30क सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों के विनियमन और उनके लाइसेंसिंग की अनुमति देती है।
4. धारा 31 पुलिस को सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य सौंपती है।

मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम 1888

इस अधिनियम में भीड़ प्रबंधन से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं :

1. धारा 34 के अनुसार सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
2. धारा 35 के अनुसार भोजनालय, होटल, शराब की दुकानें, फेंसिंग स्कूल आदि के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
3. धारा 41, 41क सार्वजनिक स्थानों आदि पर सभाओं, बैठकों और जुलूसों को विनियमित करने की शक्ति देती है।
4. धारा 61 पुलिस और अग्निशमन सेवा को आग लगने की स्थिति में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों / संरचनाओं को हटाने का अधिकार देती है।

5. धारा 71 में कुछ अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, जैसे हाथी और ऊंट को हांकना/सवारी करना, मुख्य मार्ग में बाधा डालना, सार्वजनिक स्थानों पर उचित प्रकाश व्यवस्था के बिना सभा आयोजित करना आदि।
6. धारा 74 में किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट होलिका दहन, पुआल जलाने आदि के लिए दंड का प्रावधान है।
7. धारा 76, 76क लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी भी लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करती है।

केरल पुलिस अधिनियम 2011

भीड़ प्रबंधन से संबंधित केरल पुलिस अधिनियम 2011 के प्रावधान इस प्रकार हैं :

1. धारा 37 पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने या आसन्न खतरे को रोकने के लिए निजी स्थानों में प्रवेश की अनुमति देती है।
2. धारा 45 वाहनों, मानव यातायात के विनियमन के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती हैय अशांत क्षेत्र में हथियारों और विस्फोटक लाइसेंसों को निलंबित करती है।
3. धारा 64 पुलिस को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सामान्य सहायता देने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग की तैनाती की सिफारिश करती है।
4. धारा 67 दंगा रोकने के लिए भवन और परिसर पर कब्जा लेने की अनुमति देती है।
5. धारा 68 दुर्घटना या आपदा स्थल पर उपस्थित वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को परिस्थितियों के अनुसार सभी व्यक्तियों के आचरण के संबंध में आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है।
6. धारा 69 आग, आपदा या दुर्घटना के अवसर पर कुछ कार्यों, जैसे कुछ सड़कों को बंद करने आदि की अनुमति देती है।
7. धारा 76 सार्वजनिक नोटिस द्वारा किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान को अस्थायी रूप से आरक्षित करने की शक्ति देती है।
8. धारा 79 जिला पुलिस प्रमुख को कानून और व्यवस्था बनाए रखने या सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए किसी भी सार्वजनिक सभा को अनुमति देने, नियंत्रित करने या विनियमित करने की अनुमति देती है।
9. धारा 81 उच्च सुरक्षा खतरों के कारण विशेष सुरक्षा क्षेत्र की अधिसूचना की अनुमति देती है।

उत्तर प्रदेश मेला अधिनियम 1938

इस अधिनियम में भीड़ प्रबंधन से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. धारा 6 जिला मजिस्ट्रेट को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पशुओं के पंजीकरण तथा बेचे जाने वाले पशुओं के लिए किसी भी वाहन पर टोल और शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है।
2. धारा 7 जिला मजिस्ट्रेट को मेला क्षेत्र में किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय के लिए लाइसेंस के लिए स्वतंत्रता निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है।
3. धारा 8 प्रभारी अधिकारी को मेला क्षेत्र में बाजार स्थल, स्नान स्थल, मनोरंजन स्थल, अधिकारियों आदि के लिए स्थल आवंटित करने का अधिकार देती है।
4. धारा 9 जिला मजिस्ट्रेट को आग लगने या फैलने के विरुद्ध सामान्यतः नियम बनाने की अनुमति देती है।

5. धारा 10 प्रभारी अधिकारी को किसी भी संरचना को ध्वस्त करने की अनुमति देती है, जो उसके अनुसार आग को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक हो।

चलचित्र अधिनियम 1952

इस केन्द्रीय अधिनियम में भीड़ प्रबंधन से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं :

1. धारा 10 के अनुसार चलचित्र प्रदर्शन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा धारा 11 के अनुसार जिलाधिकारी को लाइसेंसिंग प्राधिकारी बनाया गया है।
2. धारा 12 में कहा गया है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी तब तक लाइसेंस प्रदान नहीं करेंगे जब तक कि प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानियां नहीं बरती जाती हैं।

दिल्ली चलचित्रिकी नियम 1953 के अनुसार भवन में दर्शकों की संख्या निर्धारित की गई है। बैठने की व्यवस्था, गैंगवे, सीढ़ियाँ, निकास, पार्किंग व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा के लिए निर्देश और सुझाव दिए गए हैं।